राजनीतिक घटना विकास पर रिपोर्ट

(केंद्रीय कमेटी की 25-26 जुलाई, 2020 की बैठक में स्वीकृत)

कोविड-19 की महामारी और लॉकडाउनों से पैदा हुए हालात के चलते, हमारी केंद्रीय कमेटी की बैठक छः महीने के अंतराल के बाद हो रही है। यह अभूतपूर्व है। लेकिन, मौजूदा परिस्थितियों तथा अनिश्चितताओं के बीच कोई और विकल्प भी नहीं था। यह बैठक भी डिजिटल टैक्नोलॉजी के सहारे एक अभासी बैठक के रूप में ही हो पायी है क्योंकि आवाजाही पर लगी पाबंदियों के चलते और उससे भी बढ़कर महामारी का मुकाबला करने के लिए आवश्यक सावधानियों के चलते, सशरीर उपस्थिति के साथ बैठक करना लगभग असंभव ही था। जब तक कोविड-19 के खिलाफ टीका नहीं आ जाता है या उसकी कोई आजमूदा दवा नहीं निकाल ली जाती है, अनिश्चितता के ऐसे हालात बने ही रहने जा रहे हैं। यह बहुत ही जरूरी है कि हमारे सभी कामरेड और खासतौर पर 60 साल से ज्यादा आयु के कामरेड, आवश्यक सावधानियों का पालन करें—शारीरिक दूरी बनाकर रखें, मास्क पहनें और निजी स्वच्छता का ख्याल रखें।

इस दौर में पार्टी ने केंद्र से, राज्य कमेटियों से तथा निचली कमेटियों से, सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों के जरिए हस्तक्षेप किया है, ताकि जनता से अपने रिश्ते बनाए रख सकें। इस क्रम में तात्कालिक चिंता के मुद्दों को उठाया गया है और पीड़ित जनता को राहत मुहैया कराने के लिए बहुत ही सराहनीय गतिविधियां चलायी गयी हैं। पार्टी केंद्र तथा राज्य कमेटियों की रिपोर्टें, सभी केंद्रीय कमेटी सदस्यों के बीच वितरित की जा चुकी हैं। इसलिए, वे विवरण यहां नहीं दिए जा रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति

कोविड-19 महामारी

दुनिया भर में संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे होने के साथ, समूची दुनिया आज बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। 12 जुलाई तक, करीब 1.3 करोड़ या 130 लाख लोग संक्रमित हो चुके थे और करीब 6 लाख मौतें हो चुकी थीं, जिनमें से करीब 1.4 लाख मौतें अकेले अमरीका में ही हुई थीं। (आंकड़े हर घंटे बदलते रहते हैं।) जिन देशों में सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, उनकी सूची में अमरीका सबसे ऊपर है, उसके पीछे ब्राजील है और फिर भारत।

करीब-करीब सभी देशों ने, महामारी के प्रसार तथा उसकी तीव्रता के अपने-अपने आकलन के हिसाब से, अलग-अलग हद तक लॉकडाउन लागू किए हैं। कुछ देशों में लॉकडाउन के हालात महीनों तक चलते रहे हैं। महामारी और लॉकडाउनों ने मिलकर दुनिया भर में लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन में भारी खलल डाला है।

विकसित पूंजीवादी देशों में अनुपातहीन तरीके से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसमें अचरज की कोई बात भी नहीं है। नवउदारवादी नीतियों के जोर-शोर से लागू किए जाने के चलते आवश्यक सेवाओं का और खासतौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य का बड़े पैमाने पर निजीकरण हुआ है। किसी भी संक्रामक बीमारी/ महामारी से बचाव को पुख्ता करने के लिए, शोध में करीब-करीब कोई सार्वजनिक निवेश किए ही नहीं जाने ने भी दुनिया को, इस विषाणु की तबाही के सामने निरुपाय छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी से संचालित नवउदारवादी निजाम की हर कीमत पर मुनाफे अधिकतम करने की इस मुहिम ने, स्वास्थ्य तक बुनियादी पहुंच की व्यवस्था को, जनता के बड़े हिस्से के लिए अनुपलब्ध ही करा दिया है। इस तरह, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को बहुत हद तक निजी बीमा कंपनियों और बड़े दवा कारपोरेटों के ही रहमो-करम पर छोड़ दिया गया है। यह तो सच है कि वाइरस खुद इंसान-

इंसान के बीच भेद नहीं करता है, फिर भी नवउदारवाद ने जो विशाल तथा बढ़ती हुई असमानताएं पैदा कर दी हैं, उनसे आबादी के विशाल हिस्से लाचार होकर रह गए हैं। इस तरह, पूंजीवाद के अंतर्गत हालात, महामारी की तबाहियों को बढ़ाते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने (12 जुलाई को) चेतावनी दी थी कि दुनिया के पैमाने पर महामारी बदतर हो रही है और यह भी कि, 'अनुमेय भविष्य में तो पुरानी सामान्य स्थिति लौटने वाली नहीं है।' देशों का नाम लिए बिना ही नहीं उन्होंने योरप तथा एशिया के कुछ देशों के बारे में कहा था कि, 'बहुत ज्यादा संख्या में देश गलत दिशा में जा रहे हैं', जो कि, 'किसी भी प्रत्युत्तर के सबसे नाजुक घटक को, भरोसे को कमजोर कर रहे हैं।' साफ है कि वह दक्षिणपंथी तानाशाहीपूर्ण सरकारों वाले देशों की ही बात कर रहे थे, जो आज पॉजिटिव केसों की अधिकतम संख्या के मामले में शिखर पर हैं। जो देश वैज्ञानिक सलाह के हिसाब से इस महामारी का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, उनके संबंध में डब्ल्यूएचओ महानिदेशक ने कहा, 'अगर बुनियादी चीजों का पालन नहीं किया जाता है, तो महामारी एक ही तरफ जा सकती है—यह बद से बदतर और बदतर ही होगी।'

समाजवादी देश: इसके विपरीत समाजवादी देश, जहां दशकों से एक कारगर सार्वभौम स्वास्थ्य व्यवस्था चलती आयी है, इस महामारी का कहीं बेहतर तरीके से मुकाबला करने में समर्थ हुए हैं। **चीन** में, जहां वूहान में ही यह वाइरस सबसे पहले सामने आया था, उसके फैलाव को रोक दिया गया है। अब जब शुरूआती लॉकडाउन के बाद, दुनिया के विभिन्न हिस्सों से चीनी अपने देश लौट रहे हैं, महामारी वहां एक बार फिर सामने आ रही है। बहरहाल, सतर्कता के बल पर उस पर अंकुश लगा दिया गया है और उसके फैलाव की पॉकेटों को सब से अलग-थलग कर दिया गया है। चीन ने अब चरणबद्ध तरीके से अपनी आर्थिक तथा सामान्य गतिविधियां दोबारा शुरू कर दी हैं। **वियतनाम** में, जिसकी चीन के साथ बहुत लंबी थल सीमा लगती है, कोविड-19 से एक भी मौत नहीं हुई है। **क्यूबा** में सौ से कम मौतें हुई हैं और वह इस महामारी के प्रसार पर अंकुश लगाने में कामयाब रहा है। अब वह इस महामारी का मुकाबला करने के लिए दवाओं तथा उपकरणों की आपूर्ति कर के, दुनिया के पचास से ज्यादा देशों की मदद कर रहा है। **लाओस** से भी महामारी से एक भी मौत नहीं होने की ही खबर है। **कोरियाई जन जनवादी गणराज्य** (डीपीआरके) में, जो कि दूसरे देशों से कटा हुआ है, कोविड-19 के कोई पॉजिटिव केस निकले ही नहीं हैं।

महामारी से निपटने में, समाजवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता साफ तौर पर देखी जा सकती है।

दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, न्यूजीलेंड तथा ताइवान आदि, जिन देशों में कहीं बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली मौजूद है, महामारी पर कहीं कारगर तरीके से नियंत्रण कायम कर पाए हैं।

केरल: भारत में, सी पी आइ (एम) के नेतृत्ववाले लैफ्ट एंड डैमोक्रेटिक फ्रंट ने इस महामारी से निपटने में एक उदाहरण कायम किया है। 'केरल मॉडल' को दुनिया भर ने सराहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसकी तारीफ एक ऐसे मॉडल के रूप में की है, जिसका दूसरों को अनुकरण करना चाहिए। यह कामयाबी इस महामारी का मुकाबला करने के एक चौपहला तरीके के, वैज्ञानिक परामर्श के आधार पर मिली है। ये चार पहलू हैं—सघन टैस्टिंग, पॉजिटिव केसों को अलग रखना, उनके संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करना और उन्हें क्वारेंटीन करना।

अनेक देशों ने, खासतौर पर दक्षिणपंथी नवउदारवादी शासनों वाले देशों ने, इस महामारी का मुकाबला करने की अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक सलाहों को नहीं अपनाया है और इसके चलते वहां कहीं ज्यादा तबाही हुई है। इसलिए, यह अचरज की बात नहीं है कि अमरीका, ब्राजील तथा भारत जैसे देशों में, जहां दक्षिणपंथी तानाशाहीपूर्ण सरकारें हैं, सबसे ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं।

विश्व अर्थव्यवस्था

विश्व अर्थव्यवस्था, जो महामारी के आने से पहले ही मंदी के कगार पर पहुंच चुकी थी, अब बुरी तरह से मार खा चुकी है। विश्व बैंक ने 2020 में वैश्विक जीडीपी में (-)5.2 फीसद गिरावट का अनुमान पेश किया है। अमरीका में 6.1 फीसद गिरावट का अनुमान है, यूरोजोन में 9.1 फीसद गिरावट का और जापान में 6.1 फीसद गिरावट का। ये अनुमान, 2020 की जनवरी में ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के संबंध में विश्व बैंक द्वारा लगाए गए अनुमान से कोसों दूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी, मूडी के अनुमान के अनुसार उन्नत जी-20 देशों के जीडीपी में 6.4 फीसद की गिरावट होने जा रही है जबकि दुनिया के सभी देशों को मिलाकर अर्थव्यवस्था का गहरा संकुचन होने जा रहा है। दूसरी अनेक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के भी ऐसे ही अनुमान हैं। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, 2020 में विश्व माल व्यापार व्यापार

में करीब 30 फीसद की गिरावट होने जा रही है। विश्व उत्पाद के इतने भारी संकुचन का, जनता की आजीविका के हालात पर सर्वनाशी असर पड़ेगा। दुनिया भर में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, भूख तथा बदहाली के साथ, इसका विध्वंसक असर पड़ना शुरू भी हो गया है।

बढ़ती गरीबी

संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान है कि करीब 3.5 करोड़ अतिरिक्त लोग, जिनमें मुख्यत: अनौपचारिक क्षेत्र में लगे लोग आते हैं, इस साल गिरकर घोर गरीबी के स्तर पर पहुंच जाएंगे। विश्व बैंक का अनुमान है कि यह संख्या, 6 करोड़ तक जा सकती है।

लंबे लॉकडाउनों तथा तमाम शिक्षा संस्थाओं के बंद रहने का असर, 120 से ज्यादा देशों में 125 करोड़ बच्चों तथा युवाओं पर पड़ रहा है। इसका मानव विकास पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि 26.5 लाख अतिरिक्त लोग संकट के दर्जे की भूख के मुंह में धकेल दिए जाएंगे।

बेरोजगारी

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि इस महामारी तथा लॉकडाउन के चलते, दुनिया भर में मेहतकशों में से आधे का काम छूट जाएगा। एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि वैश्विक रोजगारी में, 15.8 करोड़ से 24.2 करोड़ तक रोजगारों की कमी हो सकती है। इसमें से 70 फीसद कमी एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों में होगी। वैश्विक स्तर पर श्रम से होने वाली आमदनियों में 12 से 18 खरब डालर तक की कमी हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार इसकी सबसे बुरी मार अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों पर पड़ी है। दुनिया भर में इस क्षेत्र के 160 करोड़ लोगों के पहले ही अपनी आजीविका गंवा चुके होने का अनुमान है।

बढ़ती असमानताएं

जहां जनता की बहुसंख्या की ऐसी दुर्दशा है, इससे ठीक उलट दुनिया भर में अति-धनिक, 2020 के मार्च और मई के बीच ही, पहले जितने धनी थे उससे और भी धनी हो गए हैं। फोर्ब्स के अनुसार, 23 मार्च से 23 मई के बीच ही, दुनिया के 25 सबसे दौलतमंदों की दौलत में, पूरे 255 अरब डालर का इजाफा हो गया था।

नवउदारवाद का दीवालियापन

दुनिया भर में यह बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक व्यवस्था के रूप में पूंजीवाद, एकाग्रचित्त होकर इस महामारी का मुकाबला करने के लिए, किसी टीके का विकास करने के लिए मिलकर काम करने में और आर्थिक तकलीफों तथा बदहाली झेल रही जनता को राहत मुहैया कराने में, असमर्थ है।

नवउदारवाद के दीवालियापन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी से संचालित नवउदारवादी वैश्वीकरण की विफलता के हमारी 22वीं पार्टी कांग्रेस के विश्लेषण को, हमारी केंद्रीय कमेटी की उसके बाद की बैठकों में आगे ले जाया गया है। नवउदारवादी अर्थव्यवस्था, जिसके तहत घरेलू वित्तीय बाजारों का विनियमन किया गया है, श्रम सुधारों के नाम पर रोजगार सुरक्षा के कानूनों को हटाया गया है, घरेलू संसाधनों व बाजारों को खोला गया है और देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वित्त की आवाजाही पर लगे अंकुशों को हटाया गया है, साफ तौर पर पूंजीवादी संकट का हल निकालने में भी, खासतौर पर 2008 के वॉल स्ट्रीट के महासंकट के बाद से तीखी वैश्विक मंदी का हल निकालने में विफल रही है और जनता के कल्याण की चिंताओं को हल करने में भी विफल रही है। उल्टे, मुनाफों को अधिकतम करने की उसकी मुहिम, शोषण के और ऊंचे स्तरों तक ले गयी है, जिससे वैश्विक मांग में तेजी से संकुचन हुआ है। यह अपने आप में पूंजीवादी संकट को और बढ़ा रहा है और आर्थिक असमानताओं को और बढ़ा रहा है।

राज्य का हस्तक्षेप बढ़ाने की मांग: मौजूदा हालात के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने के चलते, नवउदारवाद के पक्के पैरोकारों तक के बीच से इसकी जोरदार मांगें उठ रही हैं कि राज्य का हस्तक्षेप और बढ़ाया जाए। लंदन के *फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयार्क टाइम्स, द इकॉनमिस्ट* जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घराने इसकी वकालत कर रहे हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था उस चरण में पहुंच गयी है, जहां केन्सवादी राजकीय हस्तक्षेप और 1930 के दशक की महामंदी पर काबू पाने के लिए, अमरीका में रूजवेल्ट द्वारा पेश की गयी नयी डील, फिर से जरूरी हो गए हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, बोरिस जॉन्सन ने एक सार्वजनिक संबोधन में, इसके एलान से शुरू करने के बाद कि वह कोई कम्युनिस्ट नहीं हैं, इसकी वकालत की कि सार्वजनिक निवेश बढ़ाए जाएं और स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आवश्यक सेवाओं का, सार्वजनिक रूप से प्रावधान किया जाए! पूंजीवाद की हिफाजत करने तथा उसके विकास को

आगे बढ़ाने के लिए ही, नवउदारवादी व्यवस्था की चुनौतियों से उबरने की आवश्यक शर्तों के रूप में, आर्थिक असमानताएं घटाने तथा श्रमिक अधिकारों को बढ़ाने के तकाजे किए जा रहे हैं। इस तरह की राय के कुछ हिस्से तो वास्तव में यह दलील भी दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी, खुद अपने ही हित में इस तरह के राजकीय हस्तक्षेप की जरूरत को समझेगी।

बहरहाल, 2020 की नवउदारवादी निजाम की दुनिया, केन्स और रूजवेल्ट के जमाने की दुनिया नहीं रह गयी है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी तो अपने स्वभाव से ही, सार्वजनिक वित्त व्यवस्था पर आधारित किसी भी राजकीय हस्तक्षेप को नापसंद करती है क्योंकि इससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है और यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी को ज्यादा से ज्यादा मुनाफे बटोरने के मौके से वंचित कर सकता है क्योंकि उस स्थिति में कुछ पूंजी, राजकीय निवेशों में अटक जाएगी। नवउदारवादी व्यवस्था, ऐसे किसी भी नुस्खे का अंत-अंत तक प्रतिरोध करेगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी अपने मुनाफे अधिकतम करने के लिए, निवेशों में बढ़ोतरी तथा वैश्विक मांग का विस्तार तो देखना चाहती है, लेकिन उसके हिसाब से, यह राजकीय हस्तक्षेप के जरिए न होकर, शासन द्वारा निजी निवेशों में मदद करने के प्रबंध किए जाने के जरिए होना चाहिए और यह सार्वजनिक फंड, निजी पूंजी के हवाले कर के किया जा सकता है।

ठीक यही वह यात्रा पथ है जिस पर इस समय लगभग सभी पूंजीवादी देश चल रहे हैं। उनमें घोषित राजकोषीय/ वित्तीय उत्प्रेरण पैकेजों का खासा बड़ा हिस्सा, निजी पूंजी के लिए ऋणों के प्रावधान के लिए रखा गया है, न कि जनता के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरणों के लिए या ऐसे निवेशों के लिए, जिनसे और ज्यादा रोजगार पैदा होगा तथा मांग का विस्तार होगा।

नवउदारवादी नुस्खों का दीवालियापन इससे एक बार फिर स्पष्ट हो जाता है। कोई भी निजी कंपनी तब तक ऋण लेकर निवेश नहीं करेगी, जब तक कि इस निवेश से जो भी पैदा हो, उसे बेचा नहीं जा सकता हो, जो तब तक संभव नहीं है जब तक कि जनता के हाथों में क्रय शक्ति नहीं होगी। पूंजीवादी व्यवस्था में मुनाफा तभी कमाया जा सकता है, जब उत्पाद के खरीददार हों। इसीलिए, मेहनतकशों की आमदनियों में और कटौतियां करने, रोजगार छीनने, सामाजिक सुरक्षा खर्चों में भारी कटौतियां करने आदि यानी कटौतियों के कदमों के जरिए, मेहनतकश जनता के निर्मम शोषण को और तेज करने के जरिए, मुनाफे बढ़ाने का यह दुश्चक्र, तेज से तेज

गति से ही चलने जा रहा है।

इस तरह, वैश्विक स्तर पर भी और अलग-अलग देशों के स्तर पर भी, वर्ग संघर्षों के और तेज होने के हालात बन रहे हैं।

जन-विरोध कार्रवाइयां

महामारी और लॉकडाउन के कठिन हालात में भी, पूंजीवादी शोषण के और तेज होने के खिलाफ और कार्य-दशाओं व आजीविकाओं पर हमलों के खिलाफ, दुनिया के अनेक देशों में मजदूर वर्ग ने विरोध कार्रवाइयां की हैं। अमरीका, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, ग्रीस, जापान, चिली, ब्राजील, लेबनान तथा दूसरे अनेक देशों में, मजदूरों ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किए हैं। पाबंदियों के बावजूद, अनेक देशों में बड़े पैमाने पर मई दिवस मनाया गया है। कुछ देशों में हड़तालें हुई हैं। इन सभी विरोध कार्रवाइयों में, स्थानीय रूप से लागू बचाव नियमों का पालन किया गया है। संघर्ष के नये रूप निकलकर आए हैं, जैसे ऑनलाइन विरोध कार्रवाई, शारीरिक दूरी बनाए रहते हुए, मॉस्क आदि पहनकर, सड़कों पर विरोध कार्रवाइयां, जिन्हें अब हाइब्रिड प्रोटैस्ट या संकर विरोध कार्रवाई कहा जाने लगा है।

दक्षिणपंथी राजनीतिक करवट

इन परिस्थितियों में नवउदारवाद का थोपा जाना, बढ़ते पैमाने पर दक्षिणपंथी राजनीतिक करवट पैदा कर रहा है। हमारी केंद्रीय कमेटी की 2019 के अक्टूबर की तथा 2020 की जनवरी की, दोनों बैठकों की राजनीतिक घटनाविकास पर रिपोर्टों में कहा गया था:

'22वीं कांग्रेस ने, लंबे वैश्विक पूंजीवादी संकट के परिणामस्वरूप वैश्विक दक्षिणपंथी राजनीतिक करवट को दर्ज किया था। नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ और मुनाफों के अधिकतम किए जाने के खिलाफ, जो दुनिया भर में अरबों लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं तथा शोषण को तेज कर रहे हैं, विरोध कार्रवाइयों को तहस-नहस करना जरूरी होता है ताकि वे ऐसे स्तर पर नहीं पहुंच सकें जहां वे दीवालिया होने के बावजूद, नवउदारवादी व्यवस्था के चलते रहने को चुनौती दे सकते हों। मुनाफों को अधिकतम करने की रफ्तार के धीमी पड़ने का, वैश्विक पूंजीवाद के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ना लाजिमी है। भावनाएं भड़काने की दक्षिणपंथी राजनीतिक करवट, नस्लवाद, परदेशी-भीति, घृणा फैलाने जैसे विघटनकारी रुझान, जनतांत्रिक अधिकारों व नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन आदि, सभी कुछ

आजमाया जा रहा है ताकि दुनिया भर में मजदूर वर्ग के नेतृत्व में, मेहनतकश जनता की विरोध कार्रवाइयों की बढ़ती एकता में, खलल डाला जा सके।' (*अक्टूबर, 2019*)

'अनेक देशों में जारी इस दक्षिणपंथी राजनीतिक करवट का, भारत में भी असर दिखाई दे रहा है। बेशक, अनेक देशों में इस रुझान का बढ़ता हुआ प्रतिरोध भी मौजूद है। कम्युनिस्ट तथा वर्कर्स पार्टियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता निर्मित करने के जरिए, वैश्विक पैमाने पर इस प्रतिरोध को और मजबूत करना होगा।' (*जनवरी, 2020*)

यह प्रवृत्ति दुनिया के पैमाने पर और बढ़ती देखी जा सकती है। भावनाएं उभारने वाले मुद्दों पर जनता को बांटने और देशों के बीच बढ़ते शोषण के खिलाफ, जनता की एकता को तोड़ने की कोशिशों को तेज किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अमरीका में ऐसा नस्लवादी विभाजन के जरिए किया जा रहा है, भारत में धार्मिक विभाजन के जरिए किया जा रहा है और इस मामले में ताजातरीन नाम एर्दोगन की तुर्की का है, जिसने विख्यात हगिया सोफिया के संग्रहालय के दर्जे को पलटते हुए, उसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया है। बोल्सेनारो के ब्राजील ने, सरकार के रूप में सारी जिम्मेदारी का त्याग करते हुए, महामारी का मुकाबला करने का जिम्मा जनता पर छोड़ दिया है और दमनकारी कदम उठाए हैं।

ऐसी कोशिशें उन देशों में और तेज हो गयी हैं, जहां पहले ही घोर दक्षिणपंथी सरकारें मौजूद थीं और वहां अब फासीवादी तौर-तरीके आजमाए जा रहे हैं। इसके जरिए, मेहनतकश जनता का भीषण शोषण हो रहा है और दीवालिया नवउदारवादी व्यवस्था को टिकाए रखने के हितों की सेवा की जा रही है।

इस तरह की दक्षिणपंथी करवट के साथ भी, पूंजीवाद के व्यवस्थागत संकट पर काबू नहीं पाया जा सकता है। यह साफ है कि पूंजीवाद के दायरे में इस संकट का कोई समाधान नहीं है। पूंजीवाद के राजनीतिक विकल्प यानी समाजवादी विकल्प को, जन-शक्तियों के विशाल से विशाल हिस्सों को गोलबंद कर के मजबूत करना होगा। ऐसे विकल्प के उभरने की परिस्थितियां, जिन पर हमने 20वीं पार्टी कांग्रेस के अपने विचारधारात्मक प्रस्ताव और 22वीं पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव, दोनों में विस्तार से चर्चा की थी, महत्वपूर्ण ढंग से सभी देशों में लेनिनवादी 'मनोगत कारक' को मजबूत करने पर निर्भर करती हैं।

अमरीकी साम्राज्यवाद ने अपनी वर्चस्वादी मुहिम तेज की

यह वर्तमान परिस्थिति, महामारी का मुकाबला करने के लिए भी और अरबों की संख्या में लोगों को राहत दिलाने के लिए भी, जिनकी तकलीफें इस समय बहुत बढ़ गयी हैं, और ज्यादा बढ़े हुए स्तर के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग करती है। लेकिन, इन दोनों ही पहलुओं से इस तरह के सहयोग को नकारते हुए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के राज में अमरीका, उसका पुनर्चुनाव सुनिश्चित करने का रास्ता अपना रहा है और इसके साथ ही वह अमरीका को ऐसी स्थिति में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जहां महामारी के बाद की दुनिया में वह, अपने वैश्विक वर्चस्ववादी मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत स्थिति में हो।

बजाय इसके कि जल्द से जल्द कोई टीका विकसित करने के लिए, विश्व स्तर पर वैज्ञानिक सहयोग कायम हो पाता, ट्रम्प के नेतृत्व में अमरीका विश्व स्वास्थ्य संगठन से ही बाहर निकल गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कायम की गयी प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी है। ट्रम्प ने अपने इस कदम को इसके बहाने से सही ठहराने की कोशिश की है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, चीन को बचा रहा था। लेकिन, ट्रम्प ने खुद शुरूआत में चीन की, जिस तरह से उसने कोरोना वाइरस के प्रसार के क्रम की पहचान की थी उसके लिए भी और जिस तरह से वह इस बीमारी से निपटा था उसके लिए भी, प्रशंसा की थी। ट्रम्प अब चीन पर महामारी फैलाने के लिए जिम्मेदार होने के आरोप लगा रहा है। ट्रम्प ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से इसके बावजूद हाथ खींच लिए कि चीन ने, इसके भरोसे के साथ कि इसमें उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता है, महामारी के फैलने की परिस्थितियों की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जांच कराए जाने के लिए रजामंदी दे दी थी।

इस महामारी से निपटने में वैश्विक सहयोग होने की उम्मीदों के विपरीत, ट्रम्प ने तथा उसके घनिष्ठ सहयोगी, यूके की कंजर्वेटिव सरकार ने, इस पर समझौते का विरोध किया था कि जब भी कोई टीका बने, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट अधिकारों के तहत दावों से मुक्त रखकर, उस तक सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस तरह अमरीका, निजी दवा कार्पोरेटों द्वारा अनाप-शनाप दाम रखे जाने के लिए जिम्मेदार होगा और ये कंपनियां अब टीके के बहुत ऊंचे दाम रखेंगी और दुनिया भर में अरबों लोगों को टीके तक पहुंच से वंचित कर दिया

जाएगा। पुन:, जो भी दवाएं इस महामारी के उपचार में किसी काम की हैं, उन्हें ट्रम्प शासन द्वारा खरीद-खरीद कर जमा किया जा रहा है और इस तरह शेष दुनिया को उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। हाल ही में उन्हें रेमडेसिविर की दुनिया की पूरी-पूरी पैदावार ही खरीद ली। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रम्प के राज में विश्व स्तर पर अमरीका की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा है। यह महामारी को संभालने में उनके गड़बड़ करने और वाइरस के तेजी से फैलने तथा उसके हर रोज बढ़ती संख्या में जानें लेने का नतीजा है।

मिनियापोलिस की पुलिस के हाथों जार्ज फ्लायड की नृशंस हत्या के साथ, अमरीका की छवि को और भी धक्का लगा है। यह ट्रम्प के अमरीका में बढ़ती नस्लवादी घृणा तथा हिंसा को ही प्रतिबिंबित करता है। व्यापक स्तर पर हुई विरोध कार्रवाइयों ने, 'ब्लैक लाइव्स मैटर' के नारे के तले, सिर्फ अमरीका में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तेजी पकड़ी है। इस ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने, नस्ली घृणा के उदय के एक प्रमुख स्रोत के रूप में, उपनिवेशवाद के ऐतिहासिक संदर्भ को भी उजागर किया है। बजाए इसके कि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अमरीकी संविधान द्वारा उद्घोषित सार्वभौम अधिकारों के पक्ष में आवाज बुलंद कर के हालात को संभाला जाता, ट्रम्प अब नस्ल के आधार पर जनता को बांटने की ही कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा है कि वह आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में इससे फायदा उठा सकता है। उसने अब ''ब्लैक लाइव्स मैटर'' के जवाब में, ''व्हाइट पॉवर'' का नारा सामने रखा है। बात सिर्फ नस्ली हिंसा करने वालों को सजा दिलाने के जरिए न्याय सुनिश्चित करने में शासन की विफलता की ही नहीं है बल्कि इस तरह की नस्लवादी घृणा के चुनावी फायदे के लिए शोषण की, कोशिश किए जाने की है।

चीन की रोक-थाम: ***ब्लूमबर्ग*** के अनुसार 2020 की दूसरी तिमाही में चीनी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। दूसरी तिमाही में यानी अप्रैल-जून के दौरान उसके जीडीपी में, 2019 की दूसरी तिमाही की ही वृद्धि के मुकाबले, 3.2 फीसद की बढ़ोतरी हुई थी। 2020 की पहली तिमाही में जीडीपी में पूरे 6.8 फीसद की भारी गिरावट आयी थी। चीन ने पहली तिमाही में अपनी अर्थव्यवस्था को एक तरह से बंद ही कर दिया था ताकि महामारी के आगे प्रसार पर काबू पा सके। फिर भी, अब भी उसकी अर्थव्यवस्था, 2019 के पूर्वार्द्ध में जिस स्तर पर थी, उससे 1.6 फीसद पीछे है। घरेलू मांग में कमजोरी, जिससे समूची खुदरा बिक्री सिकुड़ गयी है, एक ऐसा मुद्दा है जिससे निपटा जा रहा है।

चीनी सरकार ने राष्ट्रीय संसद में यह बताया है कि वह 2020 के लिए तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करेगी; गरीबी को खत्म करेगी और सभी पहलुओं से एक साधारण रूप से संपन्न समाज के निर्माण के लक्ष्य हासिल करेगी। वह इसकी उम्मीद कर रही है कि 90 लाख नये शहरी रोजगार पैदा करेगी, करीब 30 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन फंडों का प्रावधान करेगी, 140 करोड़ चीनवासियों के लिए आवश्यक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करेगी और जनता की आमदनियों में और बढ़ोतरी करेगी। इस प्रकार की चीनी आर्थिक बहाली से, उत्तर-कोविड दुनिया में अमरीकी के वैश्विक वर्चस्व को गंभीर चुनौती मिलने जा रही है।

इसे अमरीकी साम्राज्यवाद, उत्तर-कोविड दुनिया में अपने वैश्विक वर्चस्व के लिए एक खतरे की तरह देख रहा है। इसलिए, 'चीन की रोक-थाम' करने के उसके पहले से घोषित रणनीतिक लक्ष्य को और मजबूत बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अमरीका ने हुआवे जैसी चीनी कंपनियों का रास्ता रोकने तथा उसके खिलाफ आर्थिक पाबंदियां लगाने से शुरूआत कर दी है और चीन की आर्थिक बहाली में अड़चन डालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है।

रणनीतिक सैन्य स्तर पर उसने दक्षिण चीन सागर में, अमरीकी नौसेना की पहले से चली आ रही मौजूदगी को और बढ़ा दिया है। जून में उसने इस विवादित सागरीय क्षेत्र में अपने तीन विमानवाहक युद्ध पोतों को तैनात किया था। पहली बार, अमरीकी नौसेना के अनेक विमान वाहकों ने एक साथ इस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास किये हैं। अमरीका सक्रिय रूप से अमरीका, आस्ट्रेलिया, जापान तथा भारत के गठजोड़ को—जिसे चौभुजा के नाम से जाना जाता है—आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, ताकि चीन पर दबाव डाला जा सके तथा उसे अलग-थलग किया जा सके।

अमरीकी दखलंदाजियां

महामारी और लॉकडाउन के इस दौर में अमरीकी साम्राज्यवाद ने वेनेजुएला, ईरान, सीरिया, कोरियाई जनवादी गणराज्य जैसे देशों को अस्थिर करने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और क्यूबा के खिलाफ अपनी आर्थिक नाकेबंदी का और बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इसकी पुकारों को अनसुना करते हुए कि क्यूबा, ईरान तथा वेनेजुएला जैसे देशों के खिलाफ लगायी गयी अमरीकी पाबंदियों को हटाया जाए ताकि वे जरूरी चिकित्सा उपकरणों, भोजन तथा अन्य आपूर्तियों तक पहुंच हासिल कर, महामारी का कारगर तरीके से मुकाबला कर सकें, अमरीका नंगई से

और बेरोकटोक, अपनी इन पाबंदियों को जारी रखे हुए है।

फिलिस्तीन

इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पहले यह एलान किया था कि इस्राइल द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए फिलिस्तीनी पश्चिमी तट के 30 फीसद भूभाग को, 1 जुलाई को औपचारिक रूप से इस्राइल में मिला लिया जाएगा। तय तारीख पर यह हो तो नहीं सका, फिर भी नेतन्याहू का कहना है कि इन इलाकों के मिलाए जाने की तैयारियां जारी हैं। फिलिस्तीनी इलाका हड़पने का यह अवैध काम, अमरीका की सरपरस्ती में और उसके उकसावे पर हो रहा है। ट्रम्प ने जनवरी, 2020 में ''पीस थ्रू प्रोस्पेरिटी'' नाम की अपनी कुख्यात योजना का एलान किया था। इस योजना में इसकी कल्पना पेश की गयी है कि यहूदी बस्तियां बसाकर अवैध रूप से कब्जा कर के रखे गए फिलिस्तानी इलाकों को, इस्राइल अपने साथ मिला सकता है। यह योजना फिलिस्तीनियों को, फिलिस्तानी राज्य की राजधानी के रूप में पूर्वी यरूशलम से भी वंचित कर देती है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ इस आशय के अनेक प्रस्ताव पारित कर चुका है। ट्रम्प इस योजना को आगे बढ़ा रहा है ताकि दो-राज्य पर आधारित समाधान का रास्ता हमेशा के लिए बंद ही कर दिया जाए। इस तरह, अपने होम लैंड से एक सदी से वंचित रखे जा रहे फिलिस्तीनियों की यह तकलीफ और लंबी चलने जा रही है।

सीरियाई शांति वार्ताएं

एक वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से रूस, तुर्की तथा ईरान के नेताओं ने, नौ साल से जारी टकराव को खत्म करने के लिए एक राजनीतिक समाधान के जरिए, सीरिया के हालात को स्थिर करने के प्रयासों पर चर्चा की। मार्च के शुरू में रूस तथा तुर्की, बागियों द्वारा नियंत्रित इदलिब के खिलाफ, सीरियाई सरकार के सैन्य अभियान को रुकवाने में कामयाब रहे थे। इसके बाद हुआ युद्धविराम, अब तक सफल रहा है। इन देशों ने, 'आर्थिक रूप से सीरिया का गला घोंटने' के लिए अमरीका तथा योरपीय यूनियन द्वारा लगायी गयी पाबंदियों की, कड़े शब्दों में निंदा की। बहरहाल, अमरीका ने नयी पाबंदियों पर अमल शुरू कर दिया है और इस तरह सीरिया को अस्थिर करने की कोशिशों को और बढ़ा दिया है।

विश्व के सामाजिक अंतर्विरोध तीखे हुए

इस घटना विकास के चलते सभी चार प्रमुख वैश्विक सामाजिक अंतर्विरोध—

साम्राज्यवाद और समाजवाद के बीच, साम्राज्यवाद तथा विकासशील देशों के बीच, साम्राज्यवाद के आपसी टकराव और श्रम तथा पूंजी के बीच—अलग-अलग हद तक तीखे हो रहे हैं। इस दौर में, जब विश्व पैमाने पर तथा हरेक देश में वर्गीय संघर्ष तेज हो रहे हैं, हमारी पार्टी की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन संघर्षों के साथ अपनी एकजुटता को मजबूत करे और भारत में वर्ग संघर्षों को ताकतवर बनाए।

राष्ट्रीय परिस्थिति

कोविड महामारी के हालात

देश में कोविड महामारी लगातार तेजी से बढ़ रही है। हर रोज, पॉजिटिव केसों और मौतों की संख्या बढ़ रही है। गंभीरता से चिंतित करने वाले हालात हैं।

दुनिया में इस महामारी से पहली मौत, 2019 के दिसंबर के आखिर में, चीन में वूहान में हुई थी। इसके विश्व भर में फैलने के खतरों के बारे में सारी दुनिया को चेता दिया गया था और अनेक देशों ने इसे रोकने के खास कदम उठाने भी शुरू कर दिए थे। लेकिन, भारत में उस समय, संक्रमण को रोकने के ऐसे कोई कदम उठाए ही नहीं गए।

भारत में इस बीमारी का पहला पॉजिटिव केस, 30 जनवरी को केरल में निकला था। इस महामारी के संबंध में वैश्विक चेतावनी आने के फौरन बाद, केरल की एलडीएफ सरकार ने इसका पूर्वानुमान कर के तैयारियां शुरू कर दीं कि जब लोग, खासतौर पर केरल के छात्र, वूहान से तथा दुनिया के अन्य हिस्सों से लौटकर आएंगे, यह घातक वाइरस उनके साथ आ सकता है। कोई पॉजिटिव केस आने से पहले ही, 20 जनवरी तक ही केरल में इस महामारी के लिए, जिला नियंत्रण केंद्रों ने अपना काम शुरू कर दिया था।

लेकिन, केरल की एलडीएफ सरकार के विपरीत, केंद्र सरकार ने फरवरी के पूरे महीने में और मार्च के भी पहले तीन हफ्तों में, कोई कदम ही नहीं उठाए। उल्टे इस अवधि में लोगों के विशाल जमावड़े के साथ बड़े-बड़े आयोजन किए गए, जहां सावधानी के किसी भी तरह के कदम नहीं उठाए गए—न शारीरिक दूरी, न मास्क का उपयोग और न सेनिटाइजरों का उपयोग। वास्तव में इन उपायों के लिए कोई सामाजिक जागरूकता अभियान भी नहीं चलाया गया। इस अवधि में, अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प के स्वागत में अहमदाबाद में विशाल भीड़ जुटायी गयी। 24 फरवरी 2020 को मोटेरा

स्टेडियम में आयोजित 'नमस्ते ट्रम्प' कार्यक्रम के लिए, लाखों लोगों को जुटाया गया था। इसके बाद, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई भयावह सांप्रदायिक हिंसा ने, महामारी का सामना करने के लिए जरूरी तैयारियों की तरफ से ध्यान बंटाने का काम किया और महामारी का मुकाबला करने के प्रयासों तथा क्षमताओं को कमजोर किया। तब्लीगी मरकज ने दिल्ली में आयोजन किया, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया आदि, ऐसे देशों से आए प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया, जहां महामारी फैल रही थी। यह इन कार्यक्रमों के आयोजकों की गैर-जिम्मेदारी थी कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में भी ये आयोजन किए थे। फिर भी जो आयोजन हुए, उनके लिए केंद्र सरकार से सभी जरूरी अनुमतियां लगी गयी थीं और बाहर से आने वाले उसी से वीजा आदि लेकर आए थे। इसके विपरीत, महाराष्ट्र सरकार ने इसी प्रकार के आयोजन के लिए उन्हें इजाजत देने से इंकार कर दिया था। संसद का सत्र 23 मार्च तक चलता रहा, जिसके बाद ही उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। उसी शाम को, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को शपथ दिलायी गयी। विधायकों की खरीद-फरोख्त के जरिए, एक जनतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को गिराने के बाद, भाजपा ने यह सरकार बनायी थी। भोपाल में हुए सार्वजनिक शपथग्रहण समारोह में, भारी भीड़ जुटायी गयी थी।

देशव्यापी लॉकडाउन: अगले ही दिन, 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन का एलान कर दिया। इसके लिए देश को, राज्य सरकारों को और जनता को, सिर्फ चार घंटे का समय दिया गया था। इस लॉकडाउन को तीन बार बढ़ाया गया और यह 1 जून को खत्म हुआ। लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दिए जाने के बाद से, हर रोज ही संक्रमण के पॉजिटिव केसों तथा मौतों की, पिछले दिन से ज्यादा संख्या दर्ज हो रही है।

लॉकडाउन अपने आप में कोई उपचार नहीं है। उससे संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलती है और तैयारियां करने का तथा उसके प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने का, समय मिल जाता है। लॉकडाउन के दौरान, संक्रमितों की पहचान के लिए व्यापक स्तर पर टैस्टिंग होनी चाहिए, जो संक्रमित हों उन्हें एकांतवास में रखे जाने, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाए जाने तथा उन्हें क्वारेंटीन करने की, व्यवस्थाएं खड़ी की जानी चाहिए। इसी सब में इस समय का उपयोग किया जाना चाहिए था। लेकिन, केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया।

प्रधानमंत्री की लफ्फाजी ने लोगों के बीच यह धारणा बनायी कि जैसे महाभारत

का युद्ध 18 दिन में जीत लिया गया था, उसी तरह भारत 21 दिन में इस महामारी के खिलाफ लड़ाई जीत लेगा। लॉकडाउन द्वारा हमारी जनता पर थोपी गयी बदहाली कठोर सचाई निकली।

स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं: लॉकडाउन के दौर का इस्तेमाल हमारी चिकित्सकीय तथा अस्पतालों की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए, हमारे डाक्टरों तथा स्वास्थ्यकर्मियों को निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) मुहैया कराने के लिए और बड़े पैमाने पर टैस्टिंग की व्यवस्था करने के लिए किया जाना चाहिए था। भाजपा की केंद्र सरकार ने इनमें से एक भी मुद्दे को हल नहीं किया, न लॉकडाउन से पहले, न लॉकडाउन के दौरान। भारत में एक हजार की आबादी पर सिर्फ 0.8 डाक्टर हैं और हर एक हजार लोगों पर अस्पताल के 0.7 बैड। केंद्र सरकार को निजी अस्पतालों की सुविधाओं को कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए अपने हाथ में लेना चाहिए था। कुछ राज्यों में तथा किसी हद तक प्रयास किए जाने के अलावा, अब तक ऐसा नहीं किया गया है। स्पेन जैसे देशों ने अपनी तमाम निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। पीपीई की तंगी तो अभी तक बनी हुई है। भारत में टैस्टिंग की दर अब भी दुनिया भर में सबसे निचले स्तर पर बनी हुई है, एक हजार लोगों पर सिर्फ 8 के करीब।

जनता की तकलीफें: अनियोजित, अवैज्ञानिक तथा अचानक किए गए लॉकडाउन ने, अर्थव्यवस्था और हमारी जनता के विशाल बहुमत की आजीविका, दोनों को ही बर्बाद कर दिया। प्रवासी मजदूरों का मामला बदतरीन था, जो दो महीने तक, अपने घर वापस जाने की कोशिश में, अपने परिवारों के साथ पैदल ही चले जा रहे थे। अगर लॉकडाउन शुरू करने से पहले लोगों को तैयारी का कुछ समय मिला होता, तो इन प्रवासी मजदूरों में से अनेक खुद, अपने पास से खर्चा कर, तभी अपने घर लौट गए होते। अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर, इन मजदूरों पर ऐसी तकलीफें थोपने के बाद, भाजपा की केंद्र सरकार ने इन मजदूरों को घर लौटने के लिए परिवहन के साधन मुफ्त मुहैया कराने से भी इंकार कर दिया। यहां तक कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से इस सिलसिले में, रेलवे को अग्रिम भुगतान करने की भी मांग की। बहुत से मामलों में बदहवास मजदूरों को कर्जा लेकर अपने किराए भरने पड़े। इस अविचारपूर्ण, इकतरफा तरीके से तथा अचानक किए गए लॉकडाउन के दुष्परिणामों का बोझ, राज्य सरकारों पर डाला जा रहा था। दूसरी ओर, उनकी आर्थिक मदद नहीं की जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री के नाम से स्थापित एक निजी

ट्रस्ट में हजारों करोड़ रु0 इकट्ठे किए जा चुके हैं।

नकद हस्तांतरण और मुफ्त राशन: लॉकडाउन के दिन से ही पार्टी यह मांग करती आ रही थी कि आयकर के दायरे से बाहर के सभी परिवारों को 7,500 प्रति माह की नकद सहायता दी जाए और सभी जरूरतमंदों को, केंद्र सरकार के गोदामों में जमा अनाज के विशाल भंडारों में से, छः महीने तक प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 10 किलो राशन मुफ्त दिया जाए। लेकिन, केंद्र सरकार ने ऐसा करने से इंकार कर दिया और लोगों को भूख और रोजगार छिनने के संकट के सामने, उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया।

आर्थिक मार

अर्थव्यवस्था, कोविड-19 की महामारी की मार पड़ने से पहले से गोते खा रही थी और मंदी की तरफ जा रही थी। 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि, 4.2 फीसद रह गयी थी, जो पिछले ग्यारह साल में उसका सबसे खराब प्रदर्शन था, जबकि 2018-19 में यही दर 6.1 फीसद रही थी। अनेक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों तथा स्वतंत्र घरेलू संस्थाओं का अनुमान है कि इस साल जीडीपी वृद्धि दर में भारी गिरावट होने जा रही है। उनका अनुमान, (-) 3.2 फीसद से (-) 6.8 फीसद तक की गिरावट का है। विश्व बैंक ने इसके (-)3.2 फीसद रहने का अनुमान लगाया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने (-) 4.5 फीसद रहने का और एशियाई विकास बैंक ने (-) 4 फीसद रहने का। नोमूरा ने (-)5.2 फीसद गिरावट का अनुमान किया है। स्टेंडर्ड एंड पुअर का अनुमान है कि महामारी के चलते भारत जीडीपी में 11 फीसद की सबसे भारी गिरावट झेल रहा होगा। यह लातीनी अमरीका तथा अफ्रीका को मिलकर जितना नुकसान होगा, उससे करीब दोगुना होगा और शेष एशिया के नुकसान का 5-6 गुना। खुद भारत के स्टेट बैंक ने (-) 6.8 फीसद के संकुचन का अनुमान लगाया है, जबकि आइसीआरए ने (-) 9.5 फीसद और केअर रेटिंग्स ने (-)6.4 फीसद संकुचन का अनुमान लगाया है।

महामारी के फूटने तथा लॉकडाउन से पहले से पार्टी हस्तक्षेप कर के, गंभीर मंदी में खिसक रही अर्थव्यवस्था में नयी जान डालने के एकमात्र रास्ते के तौर पर और ज्यादा सार्वजनिक निवेश किए जाने की मांग कर रही थी। सार्वजनिक निवेशों के जरिए, बहुप्रतीक्षित बुनियादी ढांचे के निर्माण ने बड़े पैमाने पर नये रोजगार पैदा किए होते और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग को बहुत बढ़ाने का काम

किया होता। यह ऐसी स्थिति की ओर ले जाता, जहां पहले से बंद फैक्टरियां फिर खुल सकती थीं और ठप्प पड़े विनिर्माण के काम में नयी जान पड़ गयी होती। लेकिन, नवउदारवादी एजेंडा के साथ बंधे होने के चलते, मोदी सरकार ने उन्हीं नीतियों पर चलना जारी रखा है, जो भारतीय जनता के हाथों में क्रय शक्ति को और घटाती हैं और इस तरह, अर्थव्यवस्था को मंदी की ढलान पर और नीचे तक धकेला जा रहा है।

महामारी के आने और लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद से मोदी सरकार ने, शासन के जिस तरह के हस्तक्षेप की जरूरत थी उसकी जगह पर, नवउदारवादी एजेंडा के और आक्रामक तरीके से लागू किए जाने को थोपा है और इस तरह जनता की तकलीफों तथा बदहाली को और बढ़ाया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि आर्थिक असमानताओं में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है और दरबारी पूंजीवाद के और ऊंचे स्तर को पाला-पोसा जा रहा है। इस सरकार ने जिस उत्प्रेरण पैकेज का एलान किया है, बड़े पैमाने के निजीकरण, भारतीय बाजारों तथा आर्थिक संपदा की निजी पूंजी द्वारा लूट के लिए दरवाजे खोले जाने और मेहनतकश जनता के अधिकारों पर हमलों के, शुद्ध-नवउदारवादी नुस्खों से ही भरा है। यह जनता पर और बदहाली तथा आर्थिक बोझ लादेगा।

बेरोजगारी: सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआइई) ने अनुमान लगाया है कि लॉकडाउन के दौरान करीब 15 करोड़ लोगों का रोजगार छिना है। अप्रैल और मई के बीच, बेरोजगारी की दर 23.5 फीसद से उछलकर, 27.1 फीसद पर पहुंच गयी। 2019-20 के दौरान, औसत रोजगार 40.4 करोड़ के करीब था और 2020 के अप्रैल यानी लॉकडाउन के पहले महीने में यह संख्या गिरकर 28.2 करोड़ पर आ गयी यानी करीब 30 फीसद गिर गयी या ठीक-ठीक कहें तो, 12.2 करोड़ रोजगार चले गए।

ये मार सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों पर, अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों पर तथा छोटे-छोटे व्यापारियों पर पड़ी है। 2019-20 के दौरान, इन क्षेत्रों के मजदूरों की संख्या औसतन 12.8 करोड़ थी। अप्रैल के आखिर तक आते-आते यह संख्या सिर्फ 3.7 करोड़ रह गयी यानी सिर्फ एक महीने में पूरे 9.1 करोड़ लोगों की आजीविकाएं छिन गयीं, जिसमें 1.7 करोड़ महिलाओं की भी आजीविका थी। स्थिर परिसंपत्तियों वाले बड़े उद्यमों में काम करने वाले 23 फीसद लोगों का रोजगार छिन गया यानी

उनकी संख्या जो 2019-20 में 7.8 करोड़ थी, 2020 के अप्रैल में घटकर 6.0 करोड़ रह गयी। अनुमान है कि करोबार में लगे 1.8 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया है। वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या, 2019-20 के 8.6 करोड़ से घटकर, 2020 के अप्रैल में 6.8 करोड़ पर आ गयी यानी हर पांच वेतनभोगी कर्मचारियों में से एक की नौकरी जाती रही।

बेरोजगारी का हमारे युवाओं पर बहुत चिंताजनक असर पड़ा है। 20 से 29 वर्ष तक आयु वर्ग के 2.7 करोड़ नौजवानों की नौकरियां छिन गयी हैं। 30 से 39 वर्ष तक आयु वर्ग के, 3.3 करोड़ लोगों का काम छूट गया है।

कहां हैं आर्थिक बहाली की 'हरी-हरी कोपलें'? अब प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि उन्हें आर्थिक बहाली की 'हरी-हरी कोपलें' दिखाई दे रही हैं! यह दावा इस तथ्य के आधार पर किया जा रहा है कि लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दिए जाने के बाद से, बेरोजगारी में कमी होती दिखाई दे रही है।

सचाई यह है कि लॉकडाउन के चलते अप्रैल में जो 12.2 करोड़ रोजगार छिन गए थे, उनमें से 9.1 करोड़ रोजगार जून में वापस मिल गए थे। फिर भी, जहां 2019-20 में औसत रोजगार 40.4 करोड़ के स्तर पर था, जून में कुल रोजगार 37.4 करोड़ के स्तर पर यानी 3 करोड़ घटकर ही दर्ज हुए हैं। सीएमआइई के अनुसार, जैसे-जैसे लॉकडाउन में ढील दी गयी, छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूर, अपने कामों पर लौट आए हैं। लॉकडाउन के बाद वापस आए इन रोजगारों में 63 फीसद, मूलत: अनौपचारिक प्रकृति के रोजगार हैं। लेकिन, उनकी आमदनियां पहले के स्तर पर नहीं लौटी हैं। ऐसे उदाहरणों की संख्या बहुत बड़ी है कि छोटे-छोटे व्यापारियों ने अपने आस-पड़ौस के इलाकों में खेती-किसानी की गतिविधियों ओर रुख कर लिया है। खेती में मजदूरों की संख्या बढ़ोतरी हुई है। आम तौर पर, आर्थिक संकट के दौर में खेती में रोजगार की बढ़ोतरी, प्रछन्न बेरोजगारी का ही संकेत करती है। छोटे तथा खुदरा व्यापार के क्षेत्रों में आमदनियां छीजती पाकर लोग, वापस खेती के काम की ओर रुख करते हैं। यह कमाऊ रोजगार के बढ़ने के बजाए, आर्थिक संकट को ही ज्यादा दिखाता है। वापस लौटे बताए गए रोजगारों में से 80 फीसद छोटे व्यापारियों, दिहाड़ी मजदूरों और किसानों के ही हैं। मनरेगा में भी, बिल्कुल अपर्याप्त ही सही, फिर भी रोजगार के स्तर में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि लॉकडाउन के दौर में, भारत में 20 अरब

डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। यह आर्थिक बहाली की हरी कोपलें दिखाई देने के दावों का ही एक और उदाहरण है। सचाई यह है कि इसमें से 18.4 अरब डालर की राशि, अंबानी की रिलायंस की हिस्सा पूंजी की बिक्री से ही प्राप्त हुई रकम है। यह कोई निवेश नहीं है बल्कि बहुराष्ट्रीय फर्मों के साथ किए गए समझौतों के जरिए बेची गयी हिस्सा पूंजी की कीमत है।

उद्योग: इकतरफा तरीके से लॉकडाउन थोपे जाने से पहले, मार्च के महीने में ही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) में व्यापक स्तर पर गिरावट आयी थी। आठ कोर क्षेत्रों में से ज्यादातर के उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट हुई थी। ***ब्लूमबर्ग*** के अनुसार, लॉकडाउन के बाद अप्रैल के महीने में आइआइपी 55.5 फीसद सिकुड़ गया और इसके बाद मई के महीने में 34.7 फीसद और सिकुड़ गया।

लॉकडाउन में मुनाफाखोरी: उत्पादन तथा सेवाओं में लगातार ऐसी चौतरफा गिरावट हो रही होने के बावजूद, भारत में अति-धनिकों की संपदा में इस दौरान भारी बढ़ोतरी होती रही। इससे उल्लेखनीय रूप से फायदा उठाने वालों में मुकेश अंबानी शामिल है, जिसने अप्रैल में एक महीने से भी कम समय में 10 अरब डालर की नयी पूंजी जुटाली और एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। अंबानी की संपदा अब 52.7 अरब डालर की है, जिसमें महामारी के फूटने के बाद से ही करीब 20 अरब डालर की बढ़ोतरी हुई है। जैसाकि इसी साल जनवरी में हुई हमारी केंद्रीय कमेटी की बैठक में दर्ज किया गया था, कोरोना-पूर्व दौर में ही हमारे देश में आय असमानता अश्लील रूप से ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां सबसे नीचे की 70 फीसद आबादी के पास कुल मिलाकर जितनी संपदा थी, उससे चार गुनी ज्यादा संपदा सबसे धनी एक फीसद आबादी के हाथों में थी।

कृषि: बजाए इसके कि सार्वजनिक निवेशों में बढ़ोतरी के जरिए कृषि संकट को हल किया जाता, जो कि लॉकडाउन के दौर में और गहरा गया है, एक बार फिर सारा ध्यान किसानों के लिए ऋण सुविधाएं मुहैया कराने पर ही है। कर्ज के बोझ के चलते हमारे किसान तो पहले ही आत्महत्याएं कर रहे हैं और उनके कोई नये ऋण उठाने की शायद ही कोई संभावना होगी।

तथाकथित उत्प्रेरण पैकेज के जरिए, केंद्र सरकार ने आवश्यक माल कानून को हटाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। उसने एपीएमसी कानून में संशोधन कर दिया है ताकि नियंत्रण-मुक्त मूल्य निर्धारण के आधार पर, राज्यों के बीच खाद्यान्न

की मुक्त आवाजाही की इजाजत मिल जाए। इसके भविष्य में देश की खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर नतीजे होंगे। बिचौलियों के हाथों में, उत्पादक यानी किसान और उपभोक्ता, दोनों ही गंभीर शोषण के शिकार होंगे। ये बिचौलिए अपने मुनाफे अधिकतम करने के लिए कृत्रिम तंगी की और खाद्यान्न की कमी की स्थितियां पैदा करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद के जरिए किसानों को जो थोड़ा बहुत संरक्षण मिल भी रहा था, वह भी खत्म हो जाएगा। देश में जो भी थोड़ी-बहुत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बची है, यह उसे भी नष्ट कर देगा। यह महत्वपूर्ण है कि ये कदम बड़े बहुराष्ट्रीय एग्रोबिजनस तथा घरेलू कार्पोरेटों के लिए, भारत के कृषि उत्पाद तथा बाजारों तक पहुंच के लिए, पूरी तरह से रास्ता खोल देंगे। 'ठेका खेती' कि लिए दिशा-निर्देश भी सुझा दिए गए हैं।

नकदी हस्तांतरण के दावे: प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि नकद हस्तांतरणों पर 18,000 करोड़ रु0 खर्च कर, 9 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। 2019 की पूर्व-संध्या में जब पीएम किसान योजना की घोषणा की गयी थी, इसके जरिए 14 करोड़ किसानों को, साल में दो-दो हजार रु0 की तीन किश्तों में यह लाभ दिया जाना था। अब मोदी जिस भुगतान का दावा कर रहे हैं, वह इस योजना की दूसरी किस्त है। इसमें भी 14 करोड़ किसानों को यह लाभ मिलने के बजाए, यह सिर्फ 9 करोड़ किसानों को मिला है। रीपैजिंग के जरिए प्रचार की इस तिकड़म में, इस मामूली लाभ से भी पांच करोड़ किसानों को वंचित ही कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने विधवाओं, विकलांगों तथा जनधन खाताधारकों के लिए, दो किस्तों में एक हजार रु0 का नकद हस्तांतरण करने का भी एलान किया था। इसमें से ज्यादातर पैसा लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। विकलांग आबादी में सिर्फ 3.81 फीसद लोगों को इसका लाभ मिला है। ऐसी योजनाओं की घोषणाएं किए जाने के बावजूद, उनकी पहुंच सीमित बने रहने को देखते हुए, मुसीबत की मारी जनता का विशाल बहुमत, उनके लाभ से वंचित ही रह गया है।

मनरेगा: पिछले साल इसके अंतर्गत 8.23 करोड़ लोगों को काम मिला था। इस साल में एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को साल में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना हो, तो सरकार को कम से कम 2,46,000 करोड़ रु0 आवंटित करने की जरूरत होगी। इसके बजाए, सरकार ने पूरे साल के लिए कुल 90,000 करोड़ रु0 का आवंटन किया था। इसे देखते हुए, उत्प्रेरण पैकेज में 40,000 करोड़ रु0 अतिरिक्त

देने की जो घोषणा की गयी है, बिल्कुल अपर्याप्त है।

अप्रैल और मई के महीनों में, ग्रामीण भारत में 8.4 करोड़ मजदूरों की अभूतपूर्व संख्या ने मनरेगा के अंतर्गत काम मांगा, जो गहरे संकट को प्रतिबिंबित कर रहा था। लेकिन, शर्म की बात है कि इनमें से 1.8 करोड़ मजदूरों को खाली लौटना पड़ा और ऐसे मजदूरों की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में ही थी। केंद्र सरकार, आवश्यक फंड जारी नहीं करने के जरिए, इस कानून को कमजोर कर रही है और दूसरी ओर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम पर, गैर-वैधानिक योजनाएं उछाल रही है।

मनरेगा का विस्तार करो ताकि, बढ़ी हुई मजदूरी के साथ, साल में कम से कम 200 दिन का काम सुनिश्चित किया जा सके। एक शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाओ। सभी बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारी भत्ते का एलान करो।

ईआइए 2020 का विरोध करो: पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना का मसौदा, 2020, भारत के प्राकृतिक संसाधनों के दरवाजे कार्पोरेट लूट के लिए खोलने का नक्शा है। प्रस्तावित प्रावधान, परियोजनाओं के विशाल दायरे को सार्वजनिक परामर्श के आलोचनात्मक पहलू से छूट दे देते हैं, खनिज-धनी इलाकों में आदिवासी समुदायों के बचाव के लिए रखे गए संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों को खत्म करते हैं, घोर उल्लंघनों के लिए, उल्लंघन के बाद मंजूरियां देते हैं और दूसरे अनेक प्रतिगामी कदम उठाते हैं। संबंधित अधिसूचना, इनमें से अनेक मुद्दों पर राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णयों को अनकिया करने का प्रयास करती है। इसे वापस लिया जाना चाहिए।

जनता पर डाले जाते बोझ

प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरणों और मुफ्त खाद्यान्न वितरण के जरिए, अत्यावश्यक राहत मुहैया कराने के बजाए, मोदी सरकार जनता पर अतिरिक्त अभूतपूर्व बोझ डालने में ही लगी हुई है।

बढ़ती मुद्रास्फीति: जून के महीने में खुदरा मुद्रास्फीति, रिजर्व बैंक द्वारा खींची गयी 6 फीसद की सीमा लांघ गयी (पहले उसने 4 फीसद की सीमा तय की थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया) और 6.1 फीसद मुद्रास्फीति दर्ज हुई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, खाने-पीने की चीजों के दाम में 7.3 फीसद की बढ़ोतरी दिखाता है। दालों के दाम, जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं, 16.7 फीसद बढ़ गए। दूध तथा दुग्ध उत्पादों के दाम 8.4 फीसद बढ़ गए। मांस-मछली के दाम, 16.2 फीसद बढ़ गए। यहां तक

कि जल्दी खराब होने वाली जिन्स होने के बावजूद, सब्जियों तक के दाम में 2 फीसद की बढ़ोतरी हो गयी। इससे जनता की बदहाली और बढ़ रही है।

महामारी के इन हालात के बीच भी यह सरकार सेनिटाइजरों पर और इस वाइरस के फैलाव का मुकाबला करने के लिए जरूरी स्वच्छता रखने की अन्य सामग्री पर, 18 फीसद जीएसटी वसूल कर रही है।

पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी बढ़ोतरियां, जनता की तकलीफें और ज्यादा बढ़ा रही हैं। पैट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की कीमतें 16 दिन तक लगातार बढ़ायी जाती रहीं। लॉकडाउन के दौरान, पैट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में भारी बढ़ोतरियां की गयी हैं ताकि सरकार के लिए और ज्यादा राजस्व बटोरा जा सके। 2014 में जब भाजपा की इस सरकार ने सत्ता संभाली थी, डीजल पर उत्पाद शुल्क 2.56 रु0 प्रति लीटर था। अब यह 31.83 रु0 हो गया है। इसी प्रकार, पैट्रोल के मामले में उत्पाद शुल्क 9.40 रु0 से बढ़कर 32.98 रु0 प्रति लीटर हो गया है। पीडीएस के अंतर्गत मिट्टी के तेल का दाम, 2014 के 14.96 रु0 प्रति लीटर से बढ़कर अब 21.70 रु0 हो गया है। इस तरह, सरकार राजस्व बटोर रही है और इसका बोझ जनता को उठाना पड़ रहा है। लगातार दो महीने, रसोई गैस के सिलेंडरों के दाम में 5 रु0 प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गयी।

प्रवासी मजदूर: देश ने हमारे उन मजदूरों की पीड़ा और भयावह दुर्दशा देखी है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से देशांतर कर शहरी व कृषि उत्पादन केंद्रों में रोजी-रोटी कमाने के लिए आए थे। सरकार आज 1979 के अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर कानून को ही खत्म कर देना चाहती है। इससे तो इन मजदूरों को जो थोड़ा-बहुत कानूनी संरक्षण हासिल भी था, वह भी छिन जाएगा। इस कानून के पालन में लगातार कोताही का यह नतीजा हुआ है कि प्रवासी मजदूरों का कोई भी रिकार्ड न तो राज्य सरकारें रख रही हैं और न उन्हें काम पर लगाने वाले उद्यम रख रहे हैं। इस कानून के निरस्त किए जाने को ठुकराया जाना चाहिए और इसके विपरीत, इस कानून को और मजबूत किया जाना चाहिए।

सामाजिक असमानताएं और बढ़ीं: नवउदारवादी एजेंडा के इस आक्रामक परिपालन का हाशियावर्ती तबकों, खासतौर पर आदिवासियों, दलितों तथा महिलाओं पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सरकार ने विकलांग अधिकार कानून तक में संशोधन करने की कोशिश की थी ताकि दंडों को हटा दिया जाए क्योंकि उनसे

कार्पोरेटों के हितों पर आंच आ सकती है। बहरहाल, कड़े विरोध के बाद, सरकार को जल्दी-जल्दी इस कोशिश को वापस लेना पड़ा है।

पहले से मौजूदा सामाजिक उत्पीड़न तथा भेदभाव में और तेजी आयी है। दलितों के खिलाफ जाति-आधारित अत्याचारों में, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जहां दलितों को वितरित की गयी जमीनों हड़पने की कोशिशें की जा रही हैं। पहले ही विस्थापन के शिकार आदिवासियों को जंगलात की जमीनों पर अपने अधिकारों पर नये-नये हमलों का और ग्राम सभाओं के अधिकार छीने जाने का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं पर, देख-भाल के अवैतनिक काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। इसके ऊपर से उन्हें यौन हिंसा व घरेलू हिंसा के बढ़ते हुए मामलों का सामना करना पड़ रहा है।

खाद्यान्न का वितरण: यह सरकार मुफ्त खाद्यान्न वितरण के संबंध में बड़े लंबे-चौड़े दावे कर रही है। हकीकत इस प्रकार है: (1) इस समय भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न का 10.4 करोड़ टन का भंडार है; (2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत राज्यों के लिए हर महीना औसतन 43 लाख टन का आवंटन किया जाता है; (3) अगर 5 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति मुफ्त खाद्यान्न अतिरिक्त दिया जा रहा हो, जैसाकि सरकार का दावा है, तो राज्यों के लिए खाद्यान्न आवंटन दोगुना हो जाना चाहिए; (4) लेकिन, अप्रैल में प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत सिर्फ 26 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया और मई में सिर्फ 29 लाख टन का, जबकि कम से कम 43 लाख टन फालतू अनाज का आवंटन किया जाना चाहिए था।

स्वास्थ्य: महामारी और लॉकडाउन ने हमारे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की घोर अपर्याप्तताओं को बुरी तरह से बेनकाब कर दिया है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जहां कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं हैं। जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं भी, सुविधाओं के लिहाज से बहुत ही दरिद्र हैं। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाओं को फौरन उन्नत बनाया जाना चाहिए।

इस दौर में हमारी जनता के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्याएं उभरकर सामने आयी हैं। महामारी को लेकर आशंकाओं तथा दीर्घ लॉकडाउन के चलते, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की विभिन्न अभिव्यक्तियां सामने आ रही हैं। जिन मरीजों को नियमित चिकित्सकीय सहायता की जरूरत है, जैसे कैंसर, डॉयबटीज, टीबी, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं व अन्य जान के लिए जोखिम पैदा

करने वाले रोगों के पीड़ित, उन्हें जिस नियमित चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत है, नहीं मिल पा रही है। गर्भवती महिलाओं के मामले में खास समय पर किए जाने का तकाजा करने वाले वाले हस्तक्षेपों और अन्य पुनरुत्पादक स्वास्थ संबंधी समस्याओं के लिए उपचार नहीं मिल पा रहा है और इससे भारी परेशानी हो रही है। इससे लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति और कमजोर हो रही है और यह महामारी के दौरान उन्हें और कमजोर बना रहा है।

जनता को इस समय जिस पीड़ादायक अनुभव से गुजरना पड़ रहा है उसे देखते हुए, यह जरूरी है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रीय खर्चा, जो इस समय जीडीपी के 1 फीसद से भी कम है, बढ़ाकर हमारे जीडीपी के कम से कम 3 फीसद के बराबर किया जाए, जिससे एक सार्वभौम स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण किया जा सके।

सी पी आइ (एम) का वैकल्पिक आर्थिक मार्गचित्र

पार्टी ने मौजूदा हालात में लागू किए जाने के लिए, एक आर्थिक मार्गचित्र के लिए अपने सुझाव (2 मई 2020 को) सार्वजनिक फलक पर रखे थे। यह मार्गचित्र राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री को और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अग्रसारित करते हुए, हमने पेश की थी, 'एक आर्थिक योजना, जिसके सरकार द्वारा फौरन लागू किए जाने की जरूरत थी। आर्थिक संकट तथा उससे जुड़ी जनता की पीड़ा का मुकाबला, इन कदमों से किया जाना चाहिए जिनका संबंध फौरी कामों से, मध्यम अवधि कदमों से और दीर्घावधि कदमों से है। बहरहाल, इन तीनों को अभी से शुरू करना होगा।'

इस मार्गचित्र में इसकी सही पहचान की गयी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को, जो महामारी के आने से पहले से मंदी की खाई में गिर रही थी, जिस असली समस्या ने जकड़ा हुआ है, वह घरेलू मांग के स्तर में तीखी गिरावट की समस्या है। हमारी जनता के हाथों में क्रय शक्ति इतनी तेजी से गिरी है कि अर्थव्यवस्था में मांग में इस कमी के चलते, एक सिरे से लगाकर औद्योगिक इकाइयों में ताले लग गए हैं और महामारी से भी पहले ही बड़े पैमाने पर रोजगार छिन गए थे। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ये हालात बदतर हो गए हैं। इसलिए, तात्कालिक, मध्यम अवधि तथा दीर्घ अवधि के लिए किसी भी योजना को, जनता के हाथों में क्रय शक्ति बढ़ाने के आधार पर, अर्थव्यवस्था में नये प्राण फूंकने के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करना होगा।

जैसाकि पहले दर्ज किया जा चुका है, नवउदारवादी एजेंडा के जोर-शोर से चलाए जाने के चलते, न तो राष्ट्रपति ने इस मार्गचित्र की प्राप्ति की सूचना तक दी और न प्रधानमंत्री ने। फिर हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उनके किसी तरह से विचार करने की तो बात ही कहां उठती है।

शिक्षा: प्रतिगामी फैसले

महामारी और लॉकडाउन के हालात का सहारा लेकर, भाजपा की केंद्र सरकार अपनी विवादास्पद तथा बहुत ही जहरीली नयी शिक्षा नीति को थोपने में लगी हुई है। देश के अकादमिक समुदाय के बीच और छात्रों के बीच इसका जो व्यापक विरोध है, उसकी ओर से उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं।

अभासी परीक्षाएं: जब लॉकडाउन थोपा गया, अकादमिक वर्ष खत्म हो रहा था और नये अकादमिक वर्ष के लिए दाखिले शुरू होने वाले थे। अनियोजित इकतरफा लॉकडाउन ने देश भर में इस समूची प्रक्रिया को छिन्न-भिन्न कर दिया। इस स्थिति से उबरने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए सरकार, जहां कहीं भी मौजूदा पाबंदियों के चलते सशरीर परीक्षा संभव नहीं है, इकरतफा तरीके से ऑनलाइन/ ओपन बुक परीक्षा थोपने की कोशिश कर रही है। यह स्वीकार्य नहीं है। हमारे देश में अब भी इंटरनैट कनैक्टिविटी 36 फीसद के करीब ही है। हमारे देश के छात्रों के विशाल बहुमत को ऑनलाइन कक्षाओं या परीक्षा की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। ऐसा खासतौर पर हाशियावर्ती तबकों के और देश के दूरदराज के ऐसे इलाकों में रहने वालों के मामले में सच है, जो डिजिटल ताने-बाने से जुड़े हुए नहीं हैं। इस तरह, यूजीसी के दिशानिर्देश बहुत ही भेदभावपूर्ण हैं और इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

शिक्षा हमारे संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सरकारों से, राज्यों के विश्वविद्यालयों/ कालेजों के परामर्श के बिना, जहां शिक्षण तथा परीक्षाओं, दोनों के लिए भांति-भांति के तंत्रों/ ढांचों का व्यवहार किया जाता है, यूजीसी ऐसा एकरूप फरमान जारी नहीं कर सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों के तथा खासतौर पर छात्रों के, जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाए।

अनेक विश्वविद्यालयों के साथ बड़ी संख्या में संबद्ध कॉलेज जुड़े हुए हैं, जो दूर-दूर तक फैले हो सकते हैं। तेजी से बढ़ते संक्रमणों तथा लॉकडाउन की पाबंदियों

को देखते हुए, अनेक छात्र इंटरनैट की सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएंगे और ऑनलाइन शिक्षण/ परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

अनिश्चितताओं तथा अधिकारीगण की संवेदनहीनता के चलते, छात्र इस समय गंभीर मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा का नुस्खा उनकी पीड़ा और बढ़ाने ही जा रहा है। इस तरह के उदाहरण तो सामने भी आ चुके हैं कि ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंच हासिल न होने के चलते छात्रों ने दु:खद तरीके से आत्महत्या कर ली है।

हमारी शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल खाई को मंजूर नहीं किया जा सकता है। बहरहाल, इस तथ्य को देखते हुए कि अंतिम वर्ष के ग्रेजएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों की परीक्षा की तथा उन्हें डिग्री दिए जाने की जरूरत होगी ताकि वे अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें, यह जरूरी है कि उनके पिछले सेमिस्टरों के प्रदर्शन को, जिसका कि पहले ही आकलन हो चुका है, उन्हें डिग्री दिए जाने के लिए आकलन का आधार बनाया जाए।

हिंदुत्ववादी एजेंडा के अनुरूप पाठ्यक्रम में काट-छांट: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने फैसला लिया है कि कक्षा 10-12 के पाठ्यक्रमों से नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद तथा हमारी संवैधानिक व्यवस्था के दूसरे सभी बुनियादी पहलुओं से संबंधित महत्वपूर्ण अध्यायों को हटा दिया जाए। वर्तमान महामारी तथा लॉकडाउन की पाबंदियों का बहाना लेकर, छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को कम करने के नाम पर, सीबीएसई ने इकतरफा तरीके से इस कदम का सहारा लिया है।

इस तरह से छांट-छांटकर पाठ्यक्रम के हिस्से के निकाले जाने को ठुकराया जाना चाहिए। यह संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करता है और धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक भारत के भविष्य पर बुरा असर डालता है। सीबीएसई, इन्हीं अध्यायों के हटाए जाने का कोई तर्क पेश नहीं कर पायी है। यह संदेहजनक है। सीबीएसई के इस फैसले को निरस्त किया जाना चाहिए। हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करने की कोई भी कोशिश मंजूर नहीं की जाएगी।

पार्टी को इसकी सभी संभव कोशिशें करनी चाहिए कि बुद्धिजीवियों के विभिन्न हिस्सों,अकादमिक समुदाय, अभिभावकों, छात्रों, जनतांत्रिक संगठनों, शिक्षा से तथा वैज्ञानिक मिजाज़ के फैलाव से जुड़े हलकों को एकजुट होने के लिए गोलबंद किया

जाए, ताकि भाजपा की केंद्र सरकार जिस तरह से, एक फासीवादी 'हिंदुत्व राष्ट्र' कायम करने के अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ही रूपांतरण करने की कोशिश कर रही है, उसका प्रतिरोध किया जा सके।

डाक मतपत्रों पर चुनाव आयोग का इकतरफा फैसला

केंद्र सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी कर, 65 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के लोगों को चुनाव में डाक मतपत्र का सहारा लेने की इजाजत दे दी है। कोविड-19 महामारी के हालात का फायदा उठाकर ऐसा किया जा रहा है और इसमें ऐसे लोगों को भी शामिल कर लिया गया है जो कोविड पॉजिटिव आए हों या जिनके संबंध में ऐसा संदेह हो।

यह फैसला एकतरफा तरीके से लिया गया है। इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई परामर्श ही नहीं किया गया है, जबकि वे ही चुनाव प्रक्रिया में सबसे बड़ी हितधारक हैं। राजनीतिक पार्टियां, जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं और उसकी राय को प्रतिबिंबित भी करती हैं। इस तरह का इकतरफा फैसला स्वीकार्य नहीं है।

पिछले अनुभव ने यह दिखाया है और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी इसकी पुष्टि करता है कि डाक मतपत्रों में, बड़े पैमाने पर हेर-फेर हो सकता है। सामान्यत: वोट डालने वालों में एक-तिहाई वरिष्ठ नागरिक होते हैं। इसलिए, हेर-फेर तथा चुनावी जनादेश के विकृत किए जाने की गुंजाइश, बहुत बढ़ जाती है।

विभिन्न विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद, चुनाव आयोग को इसके अमल को स्थगित करना पड़ा है।

महामारी के इन हालात में जब चुनाव कराए जाएं, चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रचार अभियान के लिए समुचित परिस्थितियां मौजूद हों और बराबरी के अवसर मिलें। हरेक मतदान केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों तथा कोविड-प्रभावित लोगों के लिए अलग चुनाव बूथ मुहैया कराए जा सकते हैं और सभी आवश्यक सावधानियां रखी जा सकती हैं।

बिहार के विधानसभा चुनाव: बिहार की जनता और देश की जनता, दोनों के ही हितों की रक्षा करने के लिए, बिहार में भाजपा-जदयू गठजोड़ की पराजय जरूरी है। राज्य स्तर पर तीन पार्टियों—सी पी आइ (एम), सी पी आइ तथा सी पी आइ (एमएल)—ने संयुक्त रूप से एलान किया है कि वामपंथ, उक्त लक्ष्य को हासिल

करने में दिलचस्पी रखने वाली दूसरी सभी ताकतों के साथ सहयोग करेगा।

भाजपा ने इन चुनावों के लिए अपनी ताबड़तोड़ तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसने अपने नियंत्रण में सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर, एक जबर्दस्त डिजिटल अभियान छेड़ दिया है।

सी पी आइ (एम) और वामपंथी पार्टियों ने, राज्य चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव का, जिसे कि भाजपा तथा जदयू का समर्थन हासिल है, विरोध किया है कि ये चुनाव सिर्फ डिजिटल प्रचार अभियान तथा डिजिटल मतदान के जरिए कराए जाएं। ऐसा होता है तो यह मतदाताओं की विशाल संख्या को चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से बाहर देगा तथा इस तरह जनतंत्र को कमजोर करेगा। पुनः, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी यही साबित करता है कि चुनाव प्रचार तथा मतदान के ऐसे तरीकों में हेर-फेर की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। ऐसा होता है तो यह जनता के जनादेश को विकृत करेगा।

यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि समुचित रूप से चुनाव कराने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हों, सभी उम्मीदवारों के लिए बराबरी के मौके हों, प्रचार के समुचित तरीकों का उपयोग हो और लोग सशरीर उपस्थित होकर मतदान करें।

तेजी से बढ़ती महामारी के हालात में, यह चुनाव आयोग का तथा प्रशासन का काम बनता है कि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करे और सामान्य चुनाव कराने के लिए हालात मुहैया कराए।

भाजपा द्वारा धन बल के घोर दुरुपयोग को देखते हुए, भारत के चुनाव आयोग को शीर्ष अदालत में रखे गए अपने बयानों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिनमें चुनावी बांडों से पैदा होने वाले खतरों को, उसके जनतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया को विकृत करने को और उसके जनता को जानकारीपूर्ण चयन के अधिकार का उपयोग करने वंचित करने को, इंगित किया गया है। इन चुनावी बांडों को निरस्त किया जाना चाहिए और भविष्य में किसी भी चुनाव से पहले, ऐसे बांड जारी करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर

पिछले साल के अगस्त से जम्मू-कश्मीर में जो राजनीतिक लॉकडाउन लगा हुआ था, देशव्यापी लॉकडाउन उसके ऊपर से आया है। अति-दमकारी पब्लिक

सेफ्टी एक्ट में बंद पूर्व-मुख्यमंत्री, सुश्री महबूबा मुफ्ती समेत, सैकड़ों लोग अब भी सींखचों के पीछे बंद हैं। दूसरे अनेक को अब भी घर पर कैद कर के रखा जा रहा है, जिनमें सी पी आइ (एम) की केंद्रीय कमेटी के सदस्य, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी शामिल हैं। यहां तक कि जिन लोगों को नजरबंदी केंद्रों से छोड़ा जा चुका है उन्हें भी, आगंतुकों से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है और अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। घर पर कैद कर के रखने का यह काम, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के ही और संवैधानिक अधिकारों व गारंटियों का उल्लंघन कर के किया जा रहा है।

महामारी के फूटने के बाद से और लॉकडाउन के दौरान, जम्मू-कश्मीर में कोविड पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती ही गयी है। इस राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं दयनीय हैं और मुसीबतजदा जनता को किसी तरह की कोई राहत दी ही नहीं जा रही है। लोगों की पहले ही अस्तव्यस्त जिंदगियों को, और तकलीफदेह हालात में धकेल दिया गया है।

डोमिसाइल की परिभाषा में फेरबदलः इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के बजाए, अब केंद्र शासित क्षेत्र बना दिए गए जम्मू-कश्मीर का सीधे प्रशासन संभाल रहा केंद्रीय गृहमंत्रालय, आरएसएस/भाजपा के राजनीतिक एजेंडा को ही आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल की परिभाषा को अब बदल दिया गया है ताकि बाहर से आए लोगों को डॉमिसाइल का दर्जा हासिल करने की इजाजत मिल जाए यानी उन्हें यहां पर सरकारी नौकरियां हासिल करने का और संपत्तियां तथा जमीन खरीदने का अधिकार मिल जाए। यही है घाटी की जनसांख्यिकी का ही रूपांतरण कर देने का भाजपा का एजेंडा। इसके साथ ही, लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं का घनघोर उल्लंघन हो रहा है। सभी असहमति की आवाज उठाने वालों के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है और उन पर अति-दमनकारी कानूनों के अंतर्गत मुकद्दमे थोपे जा रहे हैं।

दमनात्मक मीडिया नीतिः भारत के संविधान में वाणी तथा अभिव्यक्ति की जिस स्वतंत्रता की गारंटी की गयी है, उसको बाधित करने की कोशिश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर के लिए एक नयी मीडिया नीति का एलान किया है। अब से मीडियाकर्मी, नौकरशाही तथा सुरक्षा अधिकारियों के सामने जवाबदेह होंगे और इन अधिकारियों को यह तय करने का अधिकार होगा कि कौन

सी खबरें 'फर्जी, अनैतिक, चोरी की' या 'राष्ट्रविरोधी' हैं। पत्रकारों को यहां 5 अगस्त 2019 से जो कुछ झेलना पड़ रहा था, यह नयी मीडिया नीति उसे वैधता प्रदान कर देती है। इस नयी मीडिया नीति को वापस लिया जाना चाहिए और पत्रकारों को डराना-धमकाना फौरन बंद किया जाना चाहिए।

धारा-370 के साथ ही, जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए और भारत के साथ सहमिलन के समय जम्मू-कश्मीर की जनता से जो भी वादे किए गए थे, उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। यह मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है, जिसने असगुनी तरीके से ग्यारह महीने बाद भी, अब तक इसकी सुनवाई नहीं की है।

2019 के अगस्त से पकड़े गए सभी लोगों को फौरन रिहा किया जाए, पूरी संचार सुविधाएं बहाल की जाएं और लोगों को स्वतंत्र रूप से आने-जाने की इजाजत दी जाए। यह महामारी का कारगर तरीके से मुकाबला करने के लिए भी जरूरी है और मुसीबतजदा जनता को राहत देने के लिए भी जरूरी है।

आर एस एस-भाजपा के एजेंडे का आक्रामक अनुसरण

आर्थिक मंदी और भारी पीड़ाओं से ग्रस्त जनता को राहत मुहैया कराने से संबंधित गंभीर मुद्दों को संबोधित करने के बजाय भाजपा की यह केंद्र सरकार, कोविड महामारी तथा लॉकडाउन की स्थिति को आक्रामक नव-उदारवादी आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के साथ ही साथ, अपने कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है।

सबसे **पहले** तो भाजपा सरकार ने नव-उदारवादी आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए भारी आक्रामकता के साथ अपनी मुहिम चलायी। भारत की आत्मनिर्भरता के नाम पर जिस प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गयी, वह वास्तव में देसी-विदेशी दोनों ही तरह की निजी पूंजी के समक्ष भारत के आत्मसमर्पण का एक ब्लूप्रिंट ही है।

निर्मम निजीकरण: प्रतिरक्षा उत्पादन, आणविक ऊर्जा और दूसरे तमाम रणनीतिक क्षेत्रों समेत हमारी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र अब एफडीआइ के लिए खोल दिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के ज्यादातर उपक्रमों और खासतौर से भारतीय रेलवे, बिजली, पैट्रोलियम, कोयला, बैंक/बीमा, प्रतिरक्षा उत्पादन आदि का निजीकरण किया जा रहा है। यह हमारी राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की सीधे-सीधे लूट है। यह अधिकतम मुनाफा कमाने का रास्ता है, जिसका अर्थ है मेहनतकश अवाम के शोषण का उसी तरह तेज

होना। यह दरबारी पूंजीवाद के भयावह स्तरों को और मजबूत बनाएगा, जिसे इस सरकार के दौरान हम पिछले छः वर्षों से देख रहे हैं।

मजदूरवर्ग-विरोध: मजदूरों के शोषण को तेज करने की राह हमवार करने के लिए, आठ घंटे के कार्य दिवस तथा मजदूर वर्ग के कड़े संघर्षों से हासिल अधिकारों समेत, तमाम श्रम कानूनों को निरस्त किया जा रहा है। कम से कम 13 राज्यों ने श्रम कानूनों को स्थगित करने या उन्हें हल्का करने के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं। अनेक राज्यों में काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं। यह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति की सीधे-सीधे लूट और मेहनतकश अवामविरोधी हमलों का घातक गठजोड़ है, जिसे भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है।

मजदूरों तथा उनके वैधानिक अधिकारों पर हमले मोदी सरकार के इसी वर्गीय चरित्र को दिखाते हैं कि वह निर्मम ढ़ंग से मजदूरवर्ग-विरोधी तथा मेहनकश अवाम-विरोधी है।

दूसरे, इसी अवधि के दौरान, सरकार के संरक्षण के तहत आर एस एस/भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और तेज कर रहे हैं और मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बना रहे हैं।

उन अनेक युवा कार्यकर्ताओं तथा दूसरे लोगों को, जिन्होंने सीएए/एनआरसी/एनपीआर-विरोधी शांतिपूर्ण विरोधी प्रदर्शनों को आयोजित करने में भूमिका अदा की थी, निशाना बनाया जा रहा है और निरंकुश प्रावधानों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आनेवाली दिल्ली पुलिस ने तथ्यों का विकृतीकरण करके जामिया मिलिया विश्वविद्यालय तथा जेएनयू के उन छात्रों, जो सीएए-विरोधी प्रदर्शनों में शामिल थे, समेत कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो फुटेज समेत सोशल मीडिया में यह व्यापक रूप से सर्कुलेट हुआ था, जिसमें यह दिखाया गया था कि कैसे दिल्ली पुलिस जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी और छात्रावासों में गयी, उनके परिसरों में उसने तोड़फोड़ की और निर्ममतापूर्वक छात्रों को पीटा। पुलिस के इसी तरह के आतंक के शिकार हुए लोगों पर अब आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है।

सीएए विरोधी कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और उन सभी लोगों पर झूठे केस लादे जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जिन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को अपना समर्थन दिया था। उन सभी लोगों के खिलाफ झूठी एफ

आइआर दर्ज की जा रही हैं, जिन्होंने दिल्ली पुलिस तथा केंद्रीय गृह मंत्री की पक्षपातपूर्ण भूमिका का विरोध किया था और उसे बेनकाब किया था, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करनेवालों पर हमले करनेवालों को खुला छोड़ा जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों समेत भाजपा नेताओं को, जिन्होंने नफरत भरे भाषण दिए थे, छोड़ा जा रहा है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें इसके दिल-दहला देनेवाले ब्यौरे दिए गए हैं कि कैसे दिल्ली क़ी सांप्रदायिक हिंसा के दौरान अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए और पुलिस की भूमिका कैसी रही।

13 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में फरवरी में हुयी सांप्रदायिक हिंसा की जारी जांच के ब्यौरे दाखिल किए। इसने एक बार फिर इस भारी सांप्रदायिक पूर्वाग्रह को दिखा दिया कि पुलिस की जांच कैसी चल रही है। पुलिस ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा 'भड़काने या उसमें भागीदारी करने' के लिए राजनीतिक नेताओं के खिलाफ 'कार्रवाई करने लायक प्रमाण अभी तक सामने नहीं आए हैं।' यह उन वीडियो फुटेज समेत, जिनमें लोगों को हिंसा के लिए भड़काते हुए एक केंद्रीय मंत्री समेत प्रमुख भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए नफरत भरे भाषण व्यापक रूप से सर्कुलेट हुए थे, तमाम प्रमाणों का नकारा जाना है। यह साफ--साफ पर्दापोशी करने का काम है। पुलिस द्वारा की गयी मनमानी तथा उत्पीड़न के वीडियोग्राफिक प्रमाणों समेत तमाम सबूतों के बावजूद, जो हलफनामा दाखिल किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि 'इस मामले में किसी भी पुलिसकर्मी की कोई भागीदारी नहीं पायी गयी है।' पुलिस ने दावा किया है कि इस हिंसा के सिलसिले में 751 एफआइआर दाखिल की गयी हैं, लेकिन उसने इन्हें सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया। इन 751 एफआइआरों के मामले में अभी तक सिर्फ 200 आरोप पत्र ही दाखिल किए गए हैं। यह एक और पर्दापोशी की कोशिश है।

यह रिपोर्ट कहती है कि 53 लोग मारे गए जिनमें 40 मुसलमान हैं। जो 473 सिविलियन घायल हुए, उनमें करीब 185 हिंदू हैं। 108 पुलिसकर्मी घायल हुए। संपत्ति को हुए नुकसान से संबंधित रिपोर्टों के अनुसार मुसलमानों के 50 घर, हिंदुओं के 14 घर और मुसलमानों की 173 दुकानें तथा हिंदुओं की 42 दुकानें और 13 मस्जिदों तथा छः मंदिरों को नुकसान पंहुचा। कुल 1430 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 751 एफआइआर दर्ज हुए और यूएपीए के तहत 14 लोगों को गिरफ्तार किया

गया। इन तमाम आंकड़ों में, जहां तक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का सवाल है, मौतों को और नुकसान को बहुत कम करके दिखाया गया है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जिस तरह से सीएए-विरोधी प्रदर्शनकारियों को कुचल रही है, उसमें उसका सांप्रदायिक रंग-रूप साफ नजर आता है। 'सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई संबंधी उत्तरप्रदेश का अध्यादेश 2020' गत मार्च महीने में राज्य में लागू किया गया था। यह अध्यादेश सरकार को किसी भी व्यक्ति को संपत्ति की तोड़फोड़ का दोषी घोषित करने, इसके लिए उस पर भारी जुर्माना लगाने और इसकी अदायगी न करने पर उसकी संपत्ति की नीलामी करने का अधिकार देता है। शिकायतों के निपटारे के लिए इसके तहत दावों के लिए जिस पंचाट की स्थापना की गयी है, वह आदेश जारी कर सकता है जो अंतिम होंगे और किसी भी अदालत में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकेगी। शांतिपूर्ण सीएए-विरोधी प्रदर्शनों से जिस बर्बरता के साथ उत्तरप्रदेश पुलिस निपटी, वह अब सर्वविदित है। बिना किसी प्रमाण के राजद्रोह कानून के तहत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को निशाना बनाया गया है और जाने-माने बुद्धिजीवियों तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए हैं तथा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रमुख सीएए-विरोधी प्रदर्शनकारियों के नाम, उनके पते के साथ, सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए। यह उनके खिलाफ हिंसा भड़काने का उकसावा ही था। इस काले अध्यादेश के तहत मुसलमानों और खासतौर से गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, जिनमें एक रिक्शाचालक भी शामिल है, जिस पर दो लाख रु0 का जुर्माना लगाया गया और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया क्योंकि वह जुर्माना अदा नहीं कर पाया। अल्पसंख्यक समुदाय को इस तरह आतंकित करने की शिकायतों का निवारण करने का कोई तरीका नहीं है।

5 अगस्त को अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए घोषित 'भूमि पूजन' ऐसा एक और अवसर होगा, जब ध्रुवीकरण तेज किए जाने के खतरों के साथ, सांप्रदायिक भावनाएं उभारी जाएंगी।

तीसरे, विरोध की तमाम आवाजों, जनतांत्रिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रताओं और अल्पसंख्यकों तथा हाशिए पर पड़े तबकों के अधिकारों की हिमायत करनेवाले सभी कार्यकर्ताओं को राजद्रोह कानून, यूएपीए, एनएसए जैसे काले कानूनों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें जेलों में डाला जा रहा है।

भीमा कोरेगांव मामले में क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता में आयी गठबंधन सरकार हिंसा भड़काने में शामिल आरएसएस नेताओं को बचाने के लिए पूर्ववर्ती भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार द्वारा झूठे गढ़े गए मामले पर पुनर्विचार कर रही थी, केंद्र सरकार ने जोर-जबर्दस्ती से मामला एनआइए के तहत ले लिया। जनतांत्रिक अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रताओं के समर्थक, कम से कम 11 कार्यकर्ता अभी जेल में हैं। जेलों में कोविड के प्रसार और कार्यकर्ताओं के नाजुक स्वास्थ्य के बावजूद, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की याचिकाओं पर विचार न हो।

मीडिया के पत्रकारों में ऐसे चंद लोगों को, जिन्होंने सरकारी लाइन का अनुसरण करने से इंकार कर दिया था, जोर-शोर से निशाना बनाया जा रहा है और उत्पीड़ित किया जा रहा है, जबकि मीडिया में शासक पार्टियों के 'भोंपुओं' के एक बड़े तबके को संरक्षण दिया जा रहा है तथा प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसी ज्यादातर मीडिया रिपोर्टों पर, जिनमें सरकार की आलोचना की गयी थी, एफआइआर दर्ज हुयी हैं और उन पत्रकारों को उत्पीड़ित किया जा रहा है तथा गिरफ्तार किया जा रहा है। यह सरकार फेक न्यूज को प्रोत्साहन दे रही है, जबकि सच्चाई दिखानेवाली रिपोर्टिंग के लिए दंड दिया जा रहा है। जो तर्कवादी तथा सामान्य लोग वैज्ञानिक मिजाज को प्रचारित करते हैं, उन पर सरकारी संरक्षणप्राप्त पोंगापथी हमला करते हैं। लोगों की चेतना में वैज्ञानिक मिजाज को मजबूत करने के बजाय आरएसएस/भाजपा बदतरीन किस्म के पोंगापंथ तथा अंधविश्वास आदि को बढ़ावा देते हैं, ताकि हिंदुत्व के अपने कोर एजेंडा को आगे बढ़ा सकें।

चौथे, लॉकडाउन की अवधि का इस्तेमाल केंद्र सरकार सभी तरह के अधिकार तथा सत्ता का केंद्रीकरण करने की अपनी मुहिम को और मजबूत बनाने के लिए कर रही है और चुनी हुयी राज्य सरकारों के अधिकारों और संघवाद के सिद्धांतों को, जो कि हमारे संविधान की बुनियादी विशेषता हैं, पूरी तरह नकार रही है। भाजपा सरकार की मुहिम यह है कि एक ऐसे एकात्मक राजकीय ढ़ांचे की स्थापना की जाए, जिससे निगरानी आधारित 'सुरक्षा राज्य' की स्थापना के लक्ष्य का रास्ता साफ हो सके और आरएसएस की फासीवादी परियोजना को पूरा किया जा सके। सभी निर्णय एकतरफा ढ़ंग से प्रधानमंत्री तथा केंद्र सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं और राज्य इस तरह के एकतरफा निर्णयों के परिणाम भुगतने को मजबूर हैं।

राज्य सरकारें महामारी पर अंकुश लगाने के मामले में अग्रिम पंक्ति में हैं। लेकिन उनकी क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए उन्हें संसाधन आवंटित करने के बजाय, उन्हें उनका जायज जीएसटी बकाया तक देने से इंकार किया जा रहा है। अब राज्यों को यह इजाजत दे दी गयी है कि वे अपनी उधारी, राज्य की जीडीपी के 3 से 5 फीसद तक बढ़ा सकते हैं। बहरहाल, इस बढ़ोतरी का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि यह उधार व्यवसायिक आधार पर ही लिया जा सकता है और यह ब्याज की ऊंची दर राज्यों पर ऋणों का और ज्यादा बोझ डाल देगी। केंद्र सरकार को वे हजारों करोड़ रु0 राज्यों को हस्तांतरित कर देने चाहिए, जो महामारी पर अंकुश लगाने के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर स्थापित किए गए एक निजी ट्रस्ट में एकत्रित किए गए हैं।

पांचवे, सभी स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारों को कमतर बनाने के सघन प्रयास हो रहे हैं। संसद के कामकाज में भंयकर कटौती कर दी गयी है। भारतीय संविधान का केंद्रीय तत्व है, जनता की संप्रभुता और लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिनके प्रति सरकार की कार्यपालिका जवाबदेह होती है। अगर सरकार का कामकाज कमजोर है, जैसे कि वह अभी है, तो यह संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। हमने देखा है कि हाल के वर्षों में न्यायपालिका किस तरह से काम करती रही है। संविधान की धारा 370 और 35 ए को खत्म करने को चुनौती देनेवाली याचिकाएं, अगस्त 2019 से लंबित पड़ी हैं। इसी तरह नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देनेवाली याचिकाएं भी लंबित हैं। न्याय में देरी, न्याय से इंकार करना होता है। चुनाव आयोग का स्वतंत्र कामकाज ज्यादा से ज्यादा संदेह के घेरे में आता जा रहा है। पोस्टल बैलेट पर हाल के मनमाने निर्णय और एक चुनाव आयुक्त को, जो कि अगले वर्ष मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालता, इसलिए पदमुक्त कर दिया जाना क्योंकि उसने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री तथा अन्य लोगों पर कार्रवाई न करने पर ऐतराज उठाया था, इस संदेह को ही बढ़ाते हैं। सीबीआइ, एक प्रमुख स्वतंत्र जांच प्राधिकार के रूप में काम करने के बजाय सरकार के राजनीतिक हथियार के रूप में ही ज्यादा काम कर रही है। इसी तरह प्रवर्तन विभाग, राजनीतिक नेतृत्व के इशारे पर ही काम कर रहा है। ये सभी चीजें भारत की संवैधानिक व्यवस्था को बेहद कमतर बना रही हैं और बढ़ते सर्वसत्तावादी हमलों को ही मजबूत करती हैं।

छठे, देश के सभी राज्यों की सरकार पर नियंत्रण हासिल करने के लिए भाजपा ने जनतांत्रिक रूप से चुनी हुयी राज्य सरकारों को गिराने की अभूतपूर्व मुहिम छेड़

रखी है और इस तरह वह जनता के जनादेश को नकार रही है। चुनावी बॉन्डों और दूसरे संदेहास्पद तरीकों से गोदी पूंजीवाद से हासिल अपने भारी धनबल का इस्तेमाल करते हुए वह, बड़े पैमाने पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त में लगी हुयी है। इसके साथ ईडी, सीबीआइ जैसी एजेंसियों के जरिए डराना, धमकाना और उत्पीड़न भी जुड़ा हुआ है, ताकि विपक्ष को डराया-धमकाया जा सके।

जो लोग दूसरी राजनीतिक पार्टियों से दलबदल कर भाजपा में आ रहे हैं, उन्हें उनकी करतूतों के लिए बचाया जा रहा है और उनके खिलाफ जांच आदि को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है (और इनमें आपराधिक जांचें भी शामिल हैं), जबकि जो लोग उनके दबाव के सामने नहीं झुकते हैं, उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है और मुकदमों वगैरह में फंसाया जा रहा है।

विपक्षी पार्टियों और खासतौर से मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के भीतर के अंदरूनी झगड़ों से भाजपा को ऐसे प्रयासों में मदद मिल रही है। इसने मध्यप्रदेश में भाजपा की मदद की और अब यही सब राजस्थान में करने की कोशिश की जा रही है और अन्य कांग्रेस शासित राज्यों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वह उन गैर-कांग्रेस शासित राज्यों की भी सरकारों को निशाना बना रही है, जो उसका समर्थन नहीं करती हैं, जैसे महाराष्ट्र तथा झारखंड आदि की सरकारें। वह खासतौर से केरल की एलडीएफ सरकार को निशाना बना रही है।

केरल की एलडीएफ सरकार को अस्थिर करने के प्रयास: केरल में सोने की तस्करी के मामले को, जिसमें यूएई कौंसुलेट को संबोधित कूटनीतिक बैगेज का इस्तेमाल किया गया, एलडीएफसरकार पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस के नेतृत्ववाला यूडीएफ और भाजपा, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए आंदोलन भी शुरू कर दिया है।

यह मामला तस्करी के सोने की कस्टम से जब्ती से संबंधित है और यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की थी और एनआइए इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस रैकेट में मुख्यमंत्री कार्यालय के शामिल होने के झूठे आरोप लगाकर, कांग्रेस तथा भाजपा एक-दूसरे की मदद कर रही हैं और एलडीएफ सरकार को अस्थिर करने के प्रयास कर रही हैं। ऐसे वक्त में जब तमाम प्रयास कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे हैं, ऐसे विखंडकारी कदमों के खिलाफ, सी पी आइ (एम) तथा

एलडीएफ लोगों को लामबंद कर रहे हैं।

सातवें, इस अवधि का इस्तेमाल मोदी तथा भाजपा की केंद्र सरकार, भारत के अमरीकी साम्राज्यवाद के अधीनस्थ सहयोगी के दर्जे को और मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। जनवरी की केंद्रीय कमेटी की बैठक में हमने यह नोट किया था कि तमाम क्षेत्रों और खासतौर से प्रतिरक्षा क्षेत्र में, अमरीका के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। अमरीका ने जो चीनविरोधी अभियान छेड़ा है, उस पूरे अभियान में भारत अमरीकापरस्त रुख अपनाता रहा है। भारत की विदेश नीति के लिए और खासतौर से हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों के लिए, इसके गंभीर निहितार्थ हैं।

अमरीकी साम्राज्यवाद की इस तरह की गुलामी, भारत तथा हमारी जनता के हित में नहीं है।

पड़ोसियों के साथ बिगड़ते संबंध

चीन: भारत-चीन सैन्य टकराव के चलते शारीरिक झड़पें हुईं, जिससे दोनों तरफ मौतें हुयी हैं और 20 भारतीय जवानों को अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस तरह का हिंसक टकराव, जिसमें जनहानि हुयी है, 45 साल बाद हुआ है। लदाख में गलवान घाटी में हुयी यह घटना, उस शांति के लिए गंभीर धक्का है, जो पिछले कुछ समय से बनी हुयी थी।

(19 जून, 2020 को) सरकार द्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठक में सी पी आइ (एम) ने हमारे सैनिकों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए रुख को अपना समर्थन दिया था। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुयी बातचीत के बाद भारत द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया कि 'चर्चा के समापन पर इस पर सहमति बनी कि संपूर्ण स्थिति से जिम्मेदारीपूर्ण ढ़ंग से निपटा जाएगा और दोनों पक्ष 6 जून की टकराव की स्थिति से पीछे हटने की समझ को गंभीरता से लागू करेंगे। कोई भी पक्ष ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जिससे मामले में बिगाड़ आए और इसके बजाय द्विपक्षीय समझौतों तथा प्रोटोकालों के अनुसार शांति सुनिश्चित करेंगे।'

पार्टी ने आगे कहा है कि एक बार ऐसा हो जाने के बाद, भारत को उच्चस्तरीय बातचीत शुरू करनी चाहिए ताकि एलएसी के स्पष्ट निर्धारण के लिए कदम उठाए जा सकें। इस निर्धारण में स्पष्टता की कमी के चलते ही इस तरह के विवादों तथा टकराव की स्थिति पैदा होती है। एलएसी के स्पष्ट निर्धारण पर भारत तथा चीन, दोनों की

सहमति जरूरी है, ताकि सीमा पर शांति बरकरार रखी जा सके।

बहरहाल, अप्रैल तथा जून के बीच यह टकराव जिस घटनाविकास के चलते हुए उसका कोई ब्यौरा सरकार ने सर्वदलीय बैठक में नहीं दिया। डोकलाम में हुए पूर्ववर्ती विवाद और अब लद्दाख में हुए विवाद को दूसरे बिंदुओं पर खड़ा न होने से सिर्फ एलएसी के स्पष्ट निर्धारण पर समझौते से ही रोका जा सकता है।

बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर बैठक (और देश में भी) हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया कि भारतीय क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुयी है, एलएसी का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और हमारी धरती पर कोई चीनी ढ़ांचा नहीं है। इससे अनेक सवाल अनुत्तरित रह गए हैं और कयासों को हवा मिली है। यह भारत तथा चीन दोनों के ही हित में है कि सीमा के सवाल पर बातचीत की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखते हुए, एलएसी के स्पष्ट निर्धारण के जरिए सीमा पर शांति सुनिश्चित की जाए।

कम्युनिस्टविरोधी प्रचार: आरएसएस/भाजपा और अन्य कट्टर दक्षिणपंथी शक्तियां, हमारी पार्टी और कम्युनिस्टों के खिलाफ, उन्हें 'चीनी एजेंट' करार देते हुए सोशल मीडिया में कम्युनिस्टविरोधी अभियान चला रही हैं। सोशल मीडिया पर चले ऐसे तमाम अभियान फेक साबित हुए हैं और यह साबित हुआ है कि जिन तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था, उनके साथ छेड़छाड़ की गयी थी और यह सब पूरी तरह झूठा साबित हुआ है। इस कम्युनिस्टविरोधी मुहिम का मुकाबला किया जाना चाहिए।

नेपाल: नेपाल ने अपनी संसद के एक सर्वसम्मत निर्णय के जरिए, एक नया नक्शा अपनाया है, जिसे उसके संविधान में शामिल किया जाएगा और सभी सरकारी दस्तावेजों में इस्तेमाल किया जाएगा। इस नक्शे में भारत तथा नेपाल के बीच के कुछ विवादित क्षेत्र शामिल हैं।

8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख को उत्तराखंड में धारचुला से जोड़नेवाली 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक महत्व की सड़क का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इस पर तीखे ढ़ंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की और दावा किया कि यह सड़क नेपाली क्षेत्र से गुजरती है। नेपाल ने अब फिर से अपना नक्शा बनाया है, जिसमें लिपुलेख, कालापानी तथा लिंपियाधुरा के विवादित क्षेत्रों को, नेपाल के क्षेत्र बताते हुए शामिल किया गया है।

नेपाल का यह कदम, नवंबर 2019 में भारत द्वारा प्रकाशित एक नए नक्शे के छः महीने बाद सामने आया है।

कुछ वर्ष पहले नेपाल की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां यह मानती थीं कि भारत ने, नेपाल में देश के संविधान पर चल रही चर्चा के दौरान आर्थिक नाकेबंदी थोप दी थी। बहरहाल, भारत सरकार ने इससे इंकार किया था। बाद में नेपाली जनता में भारतविरोधी भावनाएं और मजबूत हुईं। द्विपक्षीय संबंधों का बिगड़ना जारी रहा और अब वे ऐसे चरण में पंहुच गए हैं, जहां नेपाल ने यह आरोप लगाते हुए, दूरदर्शन समाचार को छोड़कर सभी भारतीय टेलीविजन चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि उनके देश के खिलाफ़ कथित तौर पर आपत्तिजनक प्रचार किया जा रहा है।

नेपाल का आंतरिक घटनाविकास, बढ़ती अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री के पी ओली के नेतृत्व में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, धड़ेबंदी से संबंधित विवादों की समस्याओं का सामना कर रही है और उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की मांग उठ रही है। प्रधानमंत्री ओली का आरोप है कि भारत, नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है।

भारत तथा नेपाल के बीच एक साझा, बहुत लंबी खुली सीमा है और द्विपक्षीय संबंधों में इस बिगड़ाव के गंभीर निहितार्थ होंगे।

पाकिस्तान: सीजफायर उल्लंघनों पर, संबंधित मिशनों से दोनों देशों के कूटनीतिज्ञों को बुलाए जाने के चलते, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध इस अवधि के दौरान और बिगड़ गए हैं। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन में कूटनीतिक स्टाफ में 50 फीसद की कमी करने के आदेश दिए हैं और पाकिस्तान में भारतीय मिशन से 50 फीसद स्टाफ को वापस बुला लिया है। गोलाबारी तथा गोलीबारी के कारण जनहानि के साथ ये, सीमा उल्लंघन एलओसी के साथ विभिन्न हिस्सों में हुए हैं। सीमापार से घुसपैठ की घटनाएं हुयी हैं और भारतीय सशस्त्र बलों के हाथों आतंकवादी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 6 जुलाई को भारतीय हाई कमीशन से एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ को तलब किया और भारत द्वारा कथित सीजफायर के उल्लंघनों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसमें उसने दावा किया कि उसके लोग मारे गए हैं तथा घायल हुए हैं। उसका दावा है कि भारत ने इस वर्ष 1595 बार सीजफायर उल्लंघन किए हैं। दूसरी ओर भारत का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से सीजफायर के उल्लंघन इस वर्ष तकरीबन 69 फीसद बढ़ गए हैं और 2027 उल्लंघन हुए हैं।

बंगलादेश: नागरिकता संशोधन कानून के बाद, जो तथाकथित गैरकानूनी बंगलादेशी आप्रवासियों के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह की बंगलादेश-विरोधी

तीखी लफ्फाजी के साथ पारित हुआ था, दोनों देशों के बीच संबंधों में बिगाड़ देखने में आया है।

ईरान: ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग कर दिया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की तेहरान यात्रा के दौरान मई 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। भारत की ओर से फंडिंग में देरी को वजह बताते हुए, ईरान ने यह निर्णय लेने की घोषणा की है। यह रेल लाइन अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया तक एक वैकल्पिक व्यापारिक रूट के निर्माण की राह हमवार करती है। ईरान के साथ भारत की परियोजनाओं पर, अमरीकी पाबंदियों का संभावित प्रभाव भी इसके पीछे एक कारक है। इससे पहले भारत ने अमरीकी पाबंदियों से चाबहार बंदरगाह में निवेश के लिए छूट ले ली थी। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री द्वारा फरवरी में दिल्ली में हुयी सांप्रदायिक हिंसा की निंदा किए जाने के बाद, ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में बिगाड़ आया।

अगर ज्यादा न भी कहा जाए तो कुल मिलाकर श्रीलंका समेत, हमारे तमाम पड़ोसियों के साथ संबंधों में चिंताजनक बिगाड़ आया है। अमरीका के साथ भारत द्वारा अपने संबंधों को और मजबूत किए जाने के साथ और 'क्वाड' गठजोड़ के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों में शामिल होने और इस गठजोड़ को और मजबूत बनाने के चलते, चीन हमारे पड़ोसियों से अपने लिए समर्थन मांग रहा है। भाजपा सरकार ने भारत की परंपरागत स्वतंत्र गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को त्याग दिया है। यह भारत के सर्वोच्च हित में है कि एक स्वतंत्र विदेश नीति को लागू किया जाए।

केंद्रीय आह्वानों का पालन

16 जून को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाने के पोलिट ब्यूरो के आह्वान को हमारी पार्टी इकाइयों द्वारा अच्छी भागीदारी के साथ पूरे देश में लागू किया गया। इसकी राज्यवार विस्तृत रिपोर्टें पहले ही सभी केंद्रीय कमेटी सदस्यों को सर्कुलेट की जा चुकी हैं। इसलिए ब्यौरों को दोहराया नहीं जा रहा है।

इस अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर पार्टी द्वारा स्वतंत्र रूप से और वामपंथी पार्टियों के साथ संयुक्त रूप से, विरोध कार्रवाइयों के आह्वान किए गए हैं। पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कार्रवाइयां, पूरे देश में व्यापक तौर पर आयोजित की गयीं।

अनेक राज्यों में स्थानीय मुद्दों पर और जनता की समस्याओं को हल करने तथा जनता को राहत पंहुचाने की मांग पर, पार्टी ने अनेक कार्रवाइयां शुरू कीं। तमाम

मोर्चा संगठनों से संबंधित साथियों ने इन कार्रवाइयों में सक्रिय ढ़ंग से भाग लिया। आशाकर्मियों तथा आंगनवाड़ीकर्मियों ने तमाम स्वास्थ्य रक्षा वर्करों के साथ मिलकर, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमारे सभी जन संगठनों ने स्वतंत्र रूप से और संयुक्त रूप से, विरोध कार्रवाइयों के आह्वान किए हैं। 3 जुलाई को ट्रेड यूनियन, किसान तथा खेतमजदूर संगठनों ने कार्रवाई का संयुक्त आह्वान किया और ज्यादा बड़ी भागीदारी के साथ पूरे देश में इसे व्यापक तौर पर क्रियान्वित किया गया। सार्वजनिक शिक्षा की रक्षा के लिए छात्र मोर्चे ने जो एक व्यापक मंच बनाया है, वह वर्चुअल परिक्षाओं के सिलसिले में यूजीसी के दिशानिर्देशों को थोपे जाने के खिलाफसफलतापूर्वक विरोध कार्रवाइयों का आयोजन करने में कामयाब रहा है।

ट्रेड यूनियन, किसान सभा तथा खेतमजदूर यूनियन के एक मांगपत्र के आधार पर, 9 अगस्त को एक देशव्यापीविरोध कार्रवाई के लिए संयुक्त आह्वान किया गया है।

मजदूर वर्ग ने जुझारू कार्रवाइयां की हैं, जिसमें कोयले के व्यवसायिक खनन के निजीकरण के खिलाफ 5.3 लाख कोयला मजदूरों की ऐतिहासिक तथा सफल तीन दिवसीय हड़ताल भी शामिल है। यह हड़ताल महामारी तथा लॉकडाउन की बंदिशोंवाली स्थितियों के बावजूद, जबर्दस्त ढ़ंग से सफल रही। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मजदूर वर्ग ने हड़ताल कार्रवाइयां की हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों में कार्रवाइयों की योजना बनायी गयी है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस अवधि के दौरान अनेक विरोध कार्रवाइयों का आयोजन किया है और अब 18 अगस्त को कोयला उद्योग में हड़ताल को संयुक्त रूप से प्रायोजित कर रही हैं।

पोलिट ब्यूरो के काम

पोलिट ब्यूरो ने अपनी 2 जून 2020 की बैठक में जो रिपोर्ट स्वीकार की थी और जिस रिपोर्ट में 13 कामों की पहचान की गयी थी, उन सभी को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारा फोकस निम्नलिखित पर होना चाहिए:

1. **स्थानीय मुद्दों पर संघर्षों को मजबूत बनाओ:** स्थानीय स्तर पर ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो कोविड महामारी तथा लॉकडाउन की स्थितियों के चलते सामने आए हैं और इनमें जीवनयापन के मुद्दे, भोजन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महंगाई, स्वास्थ्य सुविधाओं, आदि के मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों पर पार्टी तथा जनसंगठनों द्वारा संबंधित क्षेत्र की स्थिति के आधार पर, स्थानीय अभियान तथा संघर्ष आयोजित किए जाने चाहिए। ये अभियान शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए तथा संरक्षणात्मक मॉस्क आदि पहनते हुए, आवश्यक बचावों के साथ आयोजित किए जाने चाहिए। जैसे-जैसे स्थिति में सुधार हो, गतिविधियों भी तेज होती रहनी चाहिए। राज्य स्तरीय तथा अखिल भारतीय अभियान, कदम दर कदम हाथ में लिए जाने चाहिए।

2. **वामपंथी एकता को मजबूत करो:** इन हालात में, वामपंथी विकल्पों को पेश करने के लिए और उन गंभीर समस्याओं के समाधान पेश करने के लिए, जिनका सामना अभी जनता को करना पड़ रहा है, वामपंथी पार्टियों की संयुक्त कार्रवाइयां बहुत जरूरी हैं। ज्यादा मजबूत समन्वय और संयुक्त गतिविधियों तथा कार्रवाई की योजना बनायी जानी चाहिए और वामपंथी पार्टियों के साथ देश भर में हर स्तर पर उनका आयोजन होना चाहिए।

3. **व्यापक संयुक्त कार्रवाइयां आयोजित करो:** पिछले कुछ महीनों के दौरान जो जनाक्रोष बढ़ता रहा है, वह विभिन्न तबकों के बीच स्वत:स्फूर्त कार्रवाइयों के रूप में सामने आएगा। पार्टी तथा जन संगठनों को ऐसे मुद्दों में सचेत ढ़ंग से हस्तक्षेप करना चाहिए और पहलकदमी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो भी

जनता के मुद्दों की हिमायत में शामिल होने के इच्छुक हों, उन सभी ताकतों के साथ मिलकर एकजुट गतिविधियां या कार्रवाइयां आयोजित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। खासतौर से हमें जनता के जीवनयापन के मुद्दे उठाने चाहिए, नव-उदारवादी नीतियों के आक्रामक ढ़ंग से लागू किए जाने का विरोध किया जाना चाहिए, जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने तथा उन बंदियों को रिहा करने के मुद्दे उठाने चाहिए, जिन्हें सरकार के खिलाफ असंतोष का इजहार करने के लिए, गढ़े हुए आरोपों पर गिरफ्तार किया गया है।

4. **आर एस एस/भाजपा के खिलाफ राजनीतिक अभियान को मजबूत करो:** हमारे राजनीतिक हमले का फोकस आरएसएस/भाजपा तथा केंद्र सरकार पर होना चाहिए, जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसा कि ऊपर नोट किया गया है। यहां तक कि लॉकडाउन की पाबंदिया हल्की होने के बाद भी पुलिस तथा प्रशासन सार्वजनिक रैलियां, विरोध प्रदर्शन तथा संघर्ष आयोजित करने के अधिकार पर, प्रतिबंधात्मक आदेशों के जरिए पाबंदियां जारी रखे हुए हैं। आरएसएस/भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मजदूरों तथा जनता पर दमन जारी रहेगा। इन मुद्दों के विरोध को, राजनीतिक अभियान के हिस्से के तौर पर उठाना होगा।

सांगठनिक काम

1. **पार्टी कामरेडों तथा ब्रांचों के कामकाज को सक्रिय करो:** सभी पार्टी सदस्यों तथा उम्मीदवार सदस्यों से संपर्क किया जाना चाहिए और ब्रांचों के कामकाज को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, ताकि उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और जनता के साथ हमारे संबंधों को मजबूत बनाया जा सके।

2. **कमेटियों का कामकाज:** ब्रांच से लेकर ऊपर तक हर स्तर पर कमेटियों के कामकाज को पुनर्जीवित करना फौरी जरूरत है। ऐसा संबंधित क्षेत्रों में पाबंदियों के भीतर ही किया जाना चाहिए। जहां शारीरिक भागीदारी के साथ सभाएं संभव न हों, बचाव के कदम अपनाए जाएं और उसके बाद डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

3. **वर्चुअल कम्युनिकेशन:** लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी कमेटियों ने डिजिटल/वीडियो कम्युनिकेशन्स का इस्तेमाल किया है। इस तरह के तकनीकी

कम्युनिकेशन के तौर-तरीकों के जरिए पार्टी अच्छी-खासी संख्या में लोगों तक पंहुचने में सफल रही। इस तरह के कम्युनिकेशन्स हमारी सामान्य गतिविधियों के साथ जारी रहने चाहिए। पार्टी के सोशल मीडिया को और मजबूत बनाया जाना चाहिए।

4. **सुदृढ़ीकरण:** हमारी पार्टी तथा जन संगठनों ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान राहत गतिविधियां आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन संबंधों को और खासतौर से प्रवासी मजदूरों के बीच इन संबंधों को, सुदृढ़ किया जाना चाहिए और उन्हें सांगठनिक ढ़ांचों में लाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

केंद्रीय कमेटी की मांगें

इन हालात में केंद्रीय कमेटी ने केंद्र सरकार के सामने निम्नलिखित जरूरी मांगें रखी हैं:

1) आय कर की सीमा से नीचे के सभी परिवारों के लिए, अगले छ: महीने तक फौरन 7,500 रु0 महीना का नकदी हस्तांतरण किया जाए।

2) सभी जरूरतमंदों के लिए अगले छ: महीने तक 10 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति के हिसाब से फौरन मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाए।

3) मनरेगा का विस्तार कर, बढ़ी हुई मजदूरी के साथ, साल में कम से कम 200 दिन का काम सुनिश्चित किया जाए। एक शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाया जाए। सभी बेरोजगारों के लिए बेकारी भत्ते का एलान करो।

4) अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार कानून (रोजगार तथा सेवा शर्तों का नियमन) कानून-1979 को रद्द करने के प्रस्ताव को निरस्त करो और इसके उलट इस कानून को और मजबूत करो।

5) सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्र का खर्चा जीडीपी के कम से कम 3 फीसद के बराबर करो।

6) आवश्यक माल कानून को खत्म करने तथा एपीएमसी कानून में संशोधन कर, अनियंत्रित कीमतों के आधार पर, राज्यों के बीच खाद्यान्न की बेरोक-टोक आवाजाही की इजाजत देने वाले अध्यादेशों को रद्द किया जाए।

7) मौजूदा श्रम कानूनों को निरस्त/ संशोधित/ निलंबित करने के सभी प्रस्तावों को वापस लिया जाए।

8) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, खासतौर पर भारतीय रेलवे तथा बिजली, पैट्रोलियम, कोयला, बैंक/बीमा, रक्षा उत्पादन आदि क्षेत्रों के उद्यमों का निजीकरण निरस्त किया जाए।

9) प्रधानमंत्री के नाम से बनाए गए एक निजी ट्रस्ट का सारा पैसा राज्यों के बीच बांटा जाए, जो महामारी का मुकाबला करने में अगली पंक्ति में हैं।

10) चूंकि इस महामारी का मुकाबला करने के लिए आपदा प्रबंधन कानून का सहारा लिया गया है, इस महामारी में जान गंवाने वाले के परिवारों को, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के प्रावधानों के हिसाब से, एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाए।

11) एससी/एसटी/ओबीसी तथा विकलांगों के लिए आरक्षण को सख्ती से लागू किया जाए। बैकलॉग के सारे पदों को भरा जाए।

12) ग्रेजुएशन तथा पोस्ट-ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के छात्रों को, पिछले सेमिस्टरों के प्रदर्शन के आधार पर जांचा जाए तथा डिग्री दी जाए।

13) 2019 के अगस्त से जम्मू-कश्मीर में बंद किए गए सभी लोगों को फौरन रिहा किया जाए। पूरी तरह से संचार व्यवस्था को बहाल किया जाए और लोगों की बेरोक-टोक आवाजाही की इजाजत दी जाए।

14) यूएपीए, एनएसए, सेडीशन एक्ट जैसे अति-दमनकारी कानूनों के अंतर्गत जेलों में बंद सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए।

15) पर्यावरण प्रभाव आकलन मसौदा अधिसूचना, 2020 को वापस लिया जाए।

16) दलितों के खिलाफ बढ़ती जातिवादी हिंसा, महिलाओं के खिलाफ घरेलू व यौन हिंसा तथा आदिवासियों के शोषण के दोषियों को सजा दी जाए।

केंद्रीय कमेटी के आह्वान

1. इस मांग पत्र को रेखांकित करते हुए, केंद्रीय कमेटी ने पार्टी की सभी इकाइयों का आह्वान किया है कि आवश्यक पाबंदियों तथा सावधानियों का पालन करते हुए, 20 से 26 अगस्त तक देश भर में विरोध सप्ताह का पालन करें।
2. केंद्रीय कमेटी, 9 अगस्त 2020 को अखिल भारतीय विरोध कार्रवाई के ट्रेड यूनियनों, किसान सभाओं तथा खेत मजदूर यूनियनों के आह्वान को अपना समर्थन देती है तथा उसके साथ एकजुटता जताती है।

भारत की
कम्युनिस्ट
पार्टी
(मार्क्सवादी)

राजनीतिक घटनाविकास पर रिपोर्ट

(केंद्रीय कमेटी की 25-26 जुलाई, 2020 की
बैठक में स्वीकृत)

अगस्त 2020 मूल्य : 20 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के लिए हरि सिंह कांग द्वारा ए के गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-10001 से प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, जी टी रोड, शाहदरा से मुद्रित (फोन : 22119770)